उन्नति

विचार

´É¹É : 16 +Eò : 3 ÊºÉiÉ¤É®-Ênº¤É®, 2011

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार

- विकेन्द्रीकरण और सहभागितापूर्ण आयोजन 2

नज़रिया

- खाद्य सुरक्षा अधिनियमः विशेषज्ञों के विचार 10

आपके लिए

- भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में लोकपाल बिल 16
- खाद्य सुरक्षाः एक झलक 20

अपनी बात

- गुजरात में अन्न अधिकार के बारे में जाग्रति अभियान का प्रभाव एवं परिणाम 23

गतिविधियाँ 29

संदर्भ सामग्री 31

अपने बारे में 34

संपादकीय टीम :

दीपा सोनपाल, बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'UNNATI Organisation for Development Education', अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

लोकतंत्र को मजबूत करने वाली जनता की आवाज

वर्ष 2011 विश्व स्तर पर जनता के प्रचंड विरोध प्रदर्शन का वर्ष रहा। लीबिया, ट्यूनिशिया, सीरिया, ईराक, यमन, इजरायल आदि जैसे मध्य-पूर्व के अरब देशों व मिश्र के सार्वभौमिकता वाले देशों में लोगों में सत्तधीशों को तख्ता पलट करके लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू करने में सफलता मिली, तो दूसरी ओर प्रभावी लोकतंत्र माने जाने वाले अमेरिका में जनता ने पूंजीवाद के विरुद्ध 'केप्चर वॉलस्ट्रीट' नामक आंदोलन शुरू करके सवा लाख से अधिक लोग एकत्र होकर प्रचंड आक्रोश व्यक्त किया। रूस की जनता ने आम रास्तों पर लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि वर्तमान प्रमुख श्री पुतिन तीसरी बार सत्ता पर नहीं चाहिए तो भारत में भी जनता इसी तरह का विरोध करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा हुई।

इन तमाम आंदोलनों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उसमें केन्द्र स्थान पर 'सामान्य मनुष्य' ही रहा एवं प्रेरक बल के रूप में उसकी रोजगार प्राप्ति, पारदर्शी प्रशासन एवं सम्मानजनक जीवन का अधिकार जैसे मूलभूत अधिकारों की मांग रही। जैसे ट्यूनिशिया में एक लारी चलाने वाले युवक ने पुलिस की दादागिरी से तंग आकर 'उग्र आंदोलन' की चिंगारी सुलगाई, तो अमेरिका में लाखों युवाओं, शिक्षित बेरोजगारों ने आर्थिक मंदी के पीछे सरकार की पूंजीवादी नीति होना बताकर लाखों लोगों को सड़कों पर आने को प्रोत्साहित किया।

मानव इतिहास में हुई क्रांतियों में कोई एक सत्ता या शक्ति के दमन के विरुद्ध जनता ने मुक्ति एवं समानता जैसे उच्च आदर्शों का विकास करके उसे बल परिवर्तन के लिए संघर्ष करने के उदाहरण मिलते हैं। उसमें अधिकांशतः कोई एक प्रभावी व्यक्तित्व नेता के रूप में केन्द्र स्थान में रहने के कई उदाहरण मिलते हैं। परंतु वर्ष 2011 के दौरान हुए आंदोलन में न तो कोई नेतृत्व सामने आया और न ही जनता ने उच्च आदर्शों की जरूरत बताई, क्योंकि जनता को सत्ता या शक्ति का कोई भय नहीं रहा। जनता में से सत्ता के इस भय को दूर करने में तकनीकी और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ।

जैसे, भारत में टेलिविजन जैसे माध्यमों ने 'कॉमन वेल्थ गेम्स' एवं 'टू जी स्पेक्ट्रम' जैसे विशाल घोटालों को जनता के सामने लाकर राजनैतिक नेताओं, दलों एवं सरकारों के भ्रष्टाचार की

शेष पृष्ठ 40 पर

विकेन्द्रीकरण और सहभागितापूर्ण आयोजन

प्रस्तुत लेख सेप्ट के अध्येता **श्री नीप ज्योतिदास** द्वारा तैयार किया गया है। अध्ययन के अन्तर्गत उनके द्वारा उन्नति में की गई इन्टर्नशिप के दौरान सत्ता के विकेन्द्रीकरण एवं योजना की सहभागिता के बारे में उन्हें मिली जानकारी यहां प्रस्तुत की गई है।

भारत में विकेन्द्रीकरण उद्‌भव

इसे तो अब सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए आग्रह का आधार यह मान्यता है कि स्थानीय राजकीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण एवं सशक्तिकरण से स्थानीय नागरिकों पर अधिक उत्तरदायित्व डालते हुए एवं स्थानीय जरूरतों एवं चयन के लिए सुयोग्य संस्थाओं का सृजन होगा।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए शासन व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। विकेन्द्रीकरण से क्या तात्पर्य है? विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य है निर्णय करने के लिए आवश्यक शासन व्यवस्था को लोगों और/अथवा नागरिकों के अधिक पास ले जाने वाली प्रक्रिया।

1993 में भारत सरकार ने कई संविधान संशोधन किए थे। इन संशोधनों का उद्देश्य देश की ग्रामीण एवं शहरी प्रतिनिधि संस्थाओं का सशक्तिकरण एवं विकेन्द्रीकरण करना था। ये संशोधन 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के रूप में जाने जाते हैं। इन संशोधनों से देश के संविधान में राज्य स्तर पर सरकार के तीसरे स्तर को औपचारिक स्वीकृति दी गई। इन संशोधनों से स्थानीय स्वराज या पंचायती राज के निर्माण के लिए कानूनी परिस्थिति तैयार हुई है।

ये दो संशोधन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के लिये प्रेरक बने और स्थानीय स्वशासन के लिए सत्तातंत्र को संवैधानिक मान्यता मिली। इन दोनों संशोधनों से पंचायतों और नगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक सत्ता और कार्य मिल सके हैं। इस उद्देश्य के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने एवं उनको लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामाजिक न्याय के लिए उन्हें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (जिसके अनुच्छेद 243 में ग्रामीण स्थानीय सरकारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों) एवं बारहवीं अनुसूची (जिसके अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में शहरी स्थानीय सरकारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों) में दी गई सूची में वर्णित कार्यों सहित कार्यों के बारे में योजना बनाने एवं उनको लागू करना होगा।

इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि योजना बनाने और निर्णय लेने की कार्रवाई में विकेन्द्रीकरण हो। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि अनुसंधानों का विकास पर नियंत्रण एवं एक जगह केन्द्रित विचारों को दूर किया जाए।

शासन व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण की विभावनाएं एवं समझ

विकास के बारे में पहले जो रणनीति बनाई जाती थी उनमें ऐसा रहता था कि मानो लोग वस्तु या लक्ष्य समूह हों, जिनका विकास बाहर की संस्थाओं के द्वारा होता हो। केन्द्र एवं राज्य सरकारें विकास की जरूरत वाले क्षेत्रों से दूर रहती हैं और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर उन्हें कई कार्य करने होते हैं। इससे वे कई स्थानीय सेवाएं प्रदान नहीं कर पाती हैं, अथवा उतनी प्रदान नहीं कर पाती हैं। विकेन्द्रीकरण से विकास की परियोजनाएं अधिक आधारक्षम बनती हैं, वहनीय खर्चें में हो सकती हैं क्योंकि इन परियोजनाओं को बनाने से लेकर, लागू एवं विनियमन करने तक सभी स्तरों पर स्थानीय लोग शामिल रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकेन्द्रीकरण की परिभाषा दी है।

इसके अनुसार शासन व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य उस परिस्थिति से है जिसमें सहकारिता के सिद्धांत के अंतर्गत केन्द्र एवं स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन हो और जिसमें सरकार एक कदम आगे आकर निजी एवं नागरिक समाज को भी शामिल करे। विकेन्द्रीकरण शासन की ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहन देता है जिसमें उन परिस्थितियों का विकास होता है जिसमें स्थानीय लोगों को सामान्य रूप से, वहनीय रूप से सेवाएं मिलती रहें एवं साथ ही अच्छी शासन व्यवस्था का ध्यान तो रखा ही जाता है तथा आधारक्षम मानव विकास को हासिल करने का भी प्रयास किया जाता है।

मेनोर एवं रिचर्ड कुक ने विकेन्द्रीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी है कि इसमें सत्ता केन्द्रीय सत्तातंत्र से प्रादेशिक अधिश्रेणी के निचले स्तरों तक पहुंचती है। कार्यकर्ता एवं अध्येता मीनाक्षी सुंदरम द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य निर्णय लेने के अधिकार में संस्था के निचले स्तरों की सहभागिता में होनी चाहिए।

विकेन्द्रीकरण शासन व्यवस्था के पक्ष में दोनों तरह की दलीलें हैं। राजकीय स्तर पर देखें तो विकेन्द्रीकरण सरकारों को अपने नागरिकों के अधिक पास लाकर उत्तरदायित्व एवं सहभागिता के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और आर्थिक स्तर पर देखें तो सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के बारे में अधिक कार्यक्षमता एवं असरकारकता हासिल की जा सकती है।

विकेन्द्रीकरण से संबंधित शब्द समूह एवं विभावनाएं

विकेन्द्रीकरण को हम एक राजनैतिक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशासन तंत्र, सार्वजनिक संसाधन एवं उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं के पास से निचले स्तर की सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं के पास स्थानांतरित होती हैं। गैर-सरकारी संस्थाओं से तात्पर्य समुदाय आधारित संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं अथवा निजी क्षेत्र की संस्थाओं से है। शासन व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण का अर्थ वास्तव में क्या होता है उसे समझने के लिए नीचे दिए गये शब्द समूहों को समझना जरूरी है।

लघु स्तरीय योजना

योजना की तीन स्तर पर व्याख्या की जाती है - विशाल स्तर (राष्ट्र अथवा उप-राष्ट्र स्तर), मध्य स्तर (राज्य अथवा उप-राज्य स्तर) और लघु स्तर। लघु स्तर अर्थात् विकास के सबसे निचले स्तर पर की जाने वाली योजना। इस योजना में उस क्षेत्र की परंपराओं, इतिहास, मूल्यों एवं प्रथाओं को उचित महत्व दिया जाता है। बहुस्तरीय योजना में लघुस्तरीय योजना को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि विकास एवं समन्याय के बीच जो भेदभाव करता हो उसे इस योजना में शामिल करना एवं एक क्षेत्र एवं एक इकाई की समस्याओं एवं संसाधनों की संभाव्यताओं का अधिकतम लाभ लेना। इसके अलावा लघुस्तरीय योजना में स्थानीय जनता को शामिल किया जा सकता है और इस सहभागिता से प्रादेशिक तनाव घट सकता है। लघुस्तरीय योजना बनाने का औचित्य नीचे दिया गया है:

- गरीब लोगों की जरूरतों पर खास ध्यान दिया जा सकता है।
- कार्यक्रमों को इस तरह से बनाया जा सकता है कि उस क्षेत्र की खास जरूरतों और विकास की संभावनाओं को पूरा किया जा सके।
- योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होता है।
- आम जनता और योजना बनाने वालों के बीच प्रगाढ़ सहभागिता हो सकती है, एवं
- प्रशासनतंत्र के सबसे निचले वर्ग को संगठित एवं संकलित किया जा सकता है।

73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों की योजना बनाने एवं उन्हें हल करने का काम सौंपा गया है। ग्राम पंचायत अपनी वार्षिक योजनाओं को तालूका पंचायतों को सौंपती हैं। तालूका पंचायत अलग-अलग ग्राम पंचायतों की योजनाओं का मूल्यांकन करके सभी योजनाओं को इकट्ठा करके तालूका की समेकित योजना तैयार करती है। तालूका पंचायत अपनी वार्षिक योजनाओं को जिला पंचायतों को सौंपती हैं और जिला पंचायतें पूरे जिले की एकत्रित वार्षिक योजना बनाती हैं।

राजनैतिक विकेन्द्रीकरण

राजनैतिक विकेन्द्रीकरण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राजनैतिक सत्ता एवं अधिकार उप-राष्ट्र स्तरों पर विकेन्द्रित की जाती है। राजनैतिक विकेन्द्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर की सरकारों तक निर्वाचित एवं सत्ता प्राप्त उप-राष्ट्र स्तर की संस्थाएं हैं।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य यह है कि कुछ खास सार्वजनिक सेवाओं के लिए निर्णय लेने का अधिकार, उसके लिए संसाधन एवं जवाबदारियां केन्द्र सरकार के पास न रहकर उसे स्थानीय सरकार, संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार के स्थानीय कार्यालयों को दी जाती हैं।

वित्तीय विकेन्द्रीकरण

वित्तीय विकेन्द्रीकरण के द्वारा माध्यमिक एवं स्थानीय सरकारों को काफी मात्रा में प्रशासनिक आय एवं खर्च के अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

सत्ता प्रदान करना

सत्ता प्रदान करना राजनैतिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है। इसमें सार्वजनिक सत्ता के लिए स्थानीय निर्णय लेने, संसाधन एवं प्रशासनिक आय प्राप्त करने की जवाबदारियां पूरी तरह से स्थानांतरित की जाती हैं। यह सत्तातंत्र उस तंत्र से पूरी तरह स्वतंत्र और स्वायत्त होता है जिससे उसे सत्ता मिली थी।

कार्य प्रदान करना

कार्य प्रदान करने की प्रक्रिया के द्वारा निश्चित नौकरशाही के ढांचे से बाहर की संस्थाओं को जवाबदारियां स्थानांतरित की जाती हैं। ये संस्थाएं केन्द्र सरकार के कठोर नियंत्रण में होती हैं।

निजीकरण

इस प्रक्रिया में सरकार के सभी कार्यों की जिम्मेदारी गैर-सरकारी संस्थाओं (स्वैच्छिक संस्थाओं) अथवा सरकार से स्वतंत्र निजी उपक्रमों को दी जाती है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में राजकीय और प्रशासनिक उद्देश्य जुड़े होते हैं। विकेन्द्रीकरण से महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि समुदायों के पिछड़े वर्गों को स्थानीय स्तर पर सहभागी बनने का अवसर मिलता है और इसके परिणामस्वरूप क्रियान्वयन में अधिक संवेदनशील अभिगम लाया जा सकता है।

यूएनडीपी के वर्ष 2003 के मानव विकास की रिपोर्ट में जोर देकर बताया गया है कि कोलंबिया, भारत, घाना एवं श्रीलंका सहित पचपन देशों में सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप नौकरशाही वर्ग का भ्रष्टाचार कम हुआ है एवं निजी पार्टियों द्वारा काम करने के बदले लिए जाने वेतन की मात्रा भी कम हुई है एवं इसके परिणामस्वरूप गरीब लोगों की दी जाने वाली बुनियादी सेवाओं के खर्च के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो पाई है।

विकेन्द्रित शासन व्यवस्था की प्रक्रिया का मुख्य घटक लोगों की सहभागिता है। इस सहभागिता से ही शासन व्यवस्था अच्छी तरह से कारगर हो सकती है। लोगों की सहभागिता से क्या तात्पर्य है। लोगों की सहभागिता से तात्पर्य समूहों के सभी सदस्यों को जोड़ने वाली गतिशील समूह वाली प्रक्रिया से है। लोगों की सहभागिता से तात्पर्य यह है कि समूह के सदस्य सामूहिक उद्देश्य के लिए सहयोग दें और समूह की गतिविधियों से मिलने वाले लाभ भी सबको मिलें, सामूहिक हित से संबंधित सूचना एवं अनुभव का आदान-प्रदान किया जाए, समूह द्वारा बनाए, तय किए नियमों एवं निर्णयों का पालन किया जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि लोगों की सहभागिता क्यों जरूरी है, इससे क्या लाभ होगा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो भी गतिविधियां हों उनमें कार्यक्षमता बढ़े, खर्च असरकारकता बढ़े, जो लाभ हो उसका वितरण समन्यायपूर्ण रूप से हो, गतिविधियां आधारक्षम हों एवं लोगों का सशक्तिकरण हो।

ऐसी सहभागिता असरकारक होती है जिसमें जागृति, संगठन एवं सक्रियता हो। इसमें निर्णय प्रक्रिया एवं कार्य करने की व्यवस्था पूर्व सूचित होती है अर्थात् निर्णय करने एवं कार्य करने की प्रक्रिया कैसी होगी उसे पहले ही तय कर लिया जाता है। महत्वपूर्ण स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति एवं संगठन खास मुद्दों वाली गतिविधियों,

लघुस्तरीय योजना की प्रक्रिया

लघुस्तरीय योजना के विविध अनुभवों के आधार पर इस कार्य के लिए आठ मुख्य चरणों की पहचान की गई है जो निम्नानुसार हैं:

1. पंचायत/क्षेत्र का चयन करनाः यह महत्वपूर्ण कार्य है। समुदाय तक पहुंचने के लिए पंचायत/क्षेत्र के पहलू की जांच करना जरूरी है।
2. वातावरण तैयार करनाः योजना बनाने में समुदाय का सक्रिय रूप से शामिल होना जरूरी है। समुदाय को शुरू से ही प्रेरित करना चाहिए।
3. सूचना का संकलन एवं वर्गीकरण करनाः क्षेत्र में कौनसी समस्याएं हैं, लोग कैसे रहते हैं इस बारे में सूचना तो वहां रहने वाले ही दे सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं से जो सूचना मिल सकती हो उसे लेना चाहिए जिससे योजना अच्छी तरह बन सके। सूचना प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न समूहों से औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से मिलकर बात करना चाहिए जिससे व्यावहारिक प्रश्नों को अधिक गहराई से समझा जा सके। चर्चा करके प्रश्नों को समझकर प्रश्नों के उत्तरों को भी जानना चाहिए। इस तरह प्राप्त सभी जानकारी को पद्धति अनुसार नोट करके उसका विश्लेषण करना चाहिए।
4. सूचना के निष्कर्षों के बारे में लोगों के साथ बातें करनाः जिस समुदाय से सूचना प्राप्त करनी हो उसे सूचना में से प्राप्त निष्कर्षों के बारे में बताना चाहिए। ऐसा करने से लोग सूचनाप्रद निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं।
5. समुदाय के प्रश्नों का विश्लेषण करना विकास की प्राथमिकताओं को तय करनाः इस कार्य में गांव के प्रश्नों का साथ मिलकर विश्लेषण किया जाता है और उसे उसकी प्राथमिकता के अनसार क्रम दिया जाता है।
6. हल एवं रणनीतियों की पहचान करनाः समस्याओं का हल ढूंढने के लिए जरूरी है कि उस बारे में पहले किए गए प्रयत्नों, उनके परिणामों, उसके अनुभवों तथा हल के विकल्पों पर चर्चा की जाती है। इस प्रक्रिया में सरकार की नीतियों/परियोजनाओं के बारे में ध्यान भी रखना चाहिए।
7. लघुस्तरीय योजना तैयार करनाः गांव या वॉर्ड स्तर पर तैयार की गई योजनाओं को पंचायत स्तर पर एकत्र किया जा सकता है।
8. योजना का क्रियान्वयन करनाः योजना बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसको कौनसा कार्य दिया गया है, कितने समय में पूरा करना है। इस प्रक्रिया में यह समझ लेना और तय कर लेना चाहिए कि सरकार के विभागों, पंचायत सदस्यों एवं ग्रामीणों की भूमिकाएं क्या हैं ताकि योजना का क्रियान्वयन जरूरत के अनुसार हो सके।

हितआधारित गतिविधियों अथवा शासन व्यवस्था की संस्थागत व्यवस्था के लिए लोगों की सहभागिता को शुरू करने एवं उसे सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत जैसे विकासशील देशों में विकेन्द्रीकरण को बेहतर शासन व्यवस्था के साधन के रूप में एवं गरीबी को कम करने में योगदान देने वाले लोकतांत्रिक साधन के रूप में समर्थन देता है। विकेन्द्रीकरण केवल प्रशासन में ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता में भी बुनियादी बदलाव की मांग करता है। विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केन्द्रीय एवं विकेन्द्रित सरकारों की, निजी क्षेत्र की, नागरिक समाज की एवं आम जनता की क्षमताओं का निर्माण करता है। हाल ही में भारत में कानूनी एवं वित्तीय सिफारिशों में काफी मात्रा में विकेन्द्रीकरण हुआ है। परंतु इन विकेन्द्रित जवाबदारियों की मात्रा में संस्थागत क्षमताओं एवं मानव संसाधन में वृद्धि नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि काफी स्थानीय संस्थाएं वे कार्य करने में सक्षम नहीं थी जिन्हें उन्हें सौंपा गया था।

विकेन्द्रीकरण एवं योजना

योजनाएं समस्याओं का उचित हल निकालने का प्रयास होती हैं। योजना में समय, मेहनत एवं धन का कम से कम उपयोग करके स्पष्ट रूप से तय किए गए उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए

रणनीति बनाई जाती है। भारत में सतत एवं आम चिंता का एक प्रश्न यह रहा है कि योजनाओं के बावजूद भी इन योजनाओं का लाभ निचले स्तर के गरीबों तक नहीं पहुंच पाए और समुदाय की समस्याओं को हल करने में भी योजनाएं निष्फल रहीं। इस निष्फलता का एक कारण यह है कि योजनाओं की प्रक्रिया में आम जनता को शामिल ही नहीं किया गया।

योजना कितनी ही बड़ी क्यों न हो उसका आधार तो सबसे निचली इकाई पर ही होना चाहिए। ऐसा होने पर आम जनता को योजना में शामिल किया जा सकता है और योजनाओं में उनकी जरूरतों और हितों को शामिल किया जा सकेगा।

1990 के दशक के शुरूआती वर्षों में संविधान में 73वें व 74वें संशोधन के बाद विकेन्द्रित योजना की प्रक्रिया का महत्व बढ़ने लगा है। योजना को सहभागितापूर्ण एवं विकेन्द्रित रखने के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने की पद्धति को इस सदी की शुरूआत में संस्थागत रूप मिला। इसके साथ-साथ लोगों की जिला स्तर की योजना में लोगों की सहभागिता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व निर्मित करने के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजना का विकास किया गया। अब हम जिला स्तर की योजना एवं सूक्ष्म स्तरीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे।

जिला स्तर की योजना प्रक्रिया

जिला स्तर की योजना बनाने में इस तरह की बात की जाती है कि बुनियादी स्तर की स्थानीय संस्थाएं ही योजना के कार्यों में मुख्य मालिक हों। अभी तक स्थानीय संस्थाओं की यह भूमिका नगण्य जैसी ही थी। अब जिस तरह से जिला स्तर की योजना पर जोर दिया जा रहा है वह 73वें व 74वें संविधान संशोधन का परिणाम है।

इन संशोधनों से जिला, तालूका एवं ग्राम स्तर पर पंचायतों का निर्माण करना जरूरी है। अब तक योजना का अभिगम केन्द्रीय था जिसके बिल्कुल बदल जाने की आशा है। जिला स्तर की योजना में आम जनता को अपनी प्राथमिकताओं को बताने की सहूलियत मिलती है।

जिला स्तर की योजना को समझना

जिला स्तर की योजना की अर्थात् जिला स्तर एवं उससे निचले स्तर पर सौंपे गए सभी क्षेत्रीय संबंधी कार्यों एवं योजनाओं को शामिल करने वाली ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्थानीय सरकारों के लिए जहां-जहां प्राप्त सभी संसाधनों (प्राकृतिक, मानव एवं वित्तीय) ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना।

इस तरह से तैयार योजना को लागू भी स्थानीय सरकारों द्वारा ही किया जाता है। अब जिला स्तर की योजना को ठेठ निचले स्तर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जा रहा है। क्योंकि राज्य के स्तर से निचले स्तर पर विकेन्द्रित योजना के लिए जिला सबसे उचित एवं प्रशासनिक इकाई होता है। यह इकाई आकार में छोटी होती है लेकिन इसमें आवश्यक विवधिता होती है।

इससे इस तरह का आयोजन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है जिससे आम जनता की उत्पादकता एवं कार्यक्षमता बढ़े। जिला स्तर की योजना का उद्देश्य यह होता है कि योजना के ऊपर से नीचे जाने वाली प्रक्रिया को समस्तरीय प्रक्रिया बनाया जा सके (समस्तरीय अर्थात् एक ही स्तर पर समानांतर विकास एवं विस्तार करने वाली प्रक्रिया)।

इस उद्देश्य में इस पर जोर दिया जाता है कि जिला स्तरीय योजना में स्थानीय सरकारों एवं आयोजन करने वाली अन्य संस्थाएं साथ मिलकर काम करें और ऊपर से नीचे जाने वाली योजना प्रक्रिया में संवाद का ध्येय रखा जाता है। यहां ऊपर से नीचे की तरफ और समानांतर रेखा में विस्तार करने वाला दोनों तरह का संकलन होना जरूरी है क्योंकि इस तरह से क्षेत्र स्तर की क्षमताओं का अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है एवं समग्रतया योजना की प्रक्रिया भी हो सकती है, जिससे कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के साथ काम हो सकते हैं।

जिला स्तर की योजना तैयार करने के चरण

जिला स्तर की योजना तैयार करने के लिए निम्नांकित चरणों का एक के बाद एक पालन करना चाहिए:

सफलता की एक कहानी
केरल में विकेन्द्रीकरण एवं योजना

आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, राजनैतिक स्वतंत्रता और गरीब तथा अलपसंख्यक समुदाय मजबूत एवं सतत प्रतिबद्धता जैसे ध्येयों के साथ वाले लोकतंत्र का विचार एवं आकांक्षा अब विशाल रूप से काफी जाग्रत हुई है। केरल में विकेन्द्रीकरण के लिए जो अभियान चल रहा है वह आमूल परिवर्तनवादी अभियान है, और उसमें लोकतंत्र के लिए विश्वव्यापी संघर्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होती है। केरल में भूतकाल की प्रथाओं को तोड़कर नए बदलाव को समर्थन देने के लिए विकेन्द्रीकरण को समर्थन देने वाला एक विशिष्ट सामूहिक अभियान शुरू किया गया है। वैसे तो लोगों की योजना सरकार का प्रशासनिक सुधारों के लिए एक कदम था परंतु इस कदम ने अभियान का रूप ले लिया है और यह अभियान विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के सामूहिक कदमों का उद्देश्य एवं लोकप्रिय राजनीति का एक भाग बना है।

राष्ट्रीय सरकारों एवं स्थानीय उच्च वर्गों के साथ अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट संबंधों के परिणामस्वरूप अदृश्य बन गए जन सामान्य के जीवन में वास्तव में सुधार लाने वाले परिणाम लाकर लोकतंत्र को सार्थक बनाने में कई मुश्किलें हैं, प्रश्न परस्पर टकराते हैं और मुद्दों का हल नहीं निकल पाता। इस संदर्भ में देखें तो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का केरल का अनुभव अत्यंत सार्थक बन जाता है। केरल राज्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का काम कर रहा है और स्थानीय संस्थाओं और लोक संगठनों को अपने संसाधनों एवं सत्ता में सहभागी बनाकर उनका सशक्तिकरण कर रहा है। 1996 में केरल के वामपंथी एवं लोकशाही मोर्चा की सरकार ने अपनी नौंवी योजना की धनराशि में 35 से 40 प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारों द्वारा तैयार व्यवहार में लागू सभी कार्यक्रमों के लिए दी थी। यह एक विशिष्ट प्रयत्न था, जिसकी कई विशिष्टताएं इस प्रकार हैः

- राज्य की योजना में से 35 प्रतिशत रकम अर्थात् 1,025 करोड़ रुपए स्थानीय संस्थाओं को दिये गये।
- स्थानीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण किया गया और स्थानीय संस्थाओं के लिए हर वर्ष काफी रकम इस कार्य के लिए रखी गई।
- गरीबी एवं असमानता कम करने के उपाय के रूप में खेती, उद्योग,स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए धनराशि दी गई।

भारत में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के सामने केरल ने कई परीक्षण रखे हैंः समन्याय, टिकाऊपन, पारदर्शी व्यवस्था का मजबूतीकरण, राजनैतिक एकत्रीकरण द्वारा आत्म निर्भरता प्राप्त करने का संघर्ष और नए संगठनों एवं नई तकनीक के साथ समय सीमा में रहकर गुणात्मक रूप से जोड़ना। भारत के इतिहास में आपातकाल के समय के दौरान केरल का अनुभव आर्थिक विकास, राज्य की जवाबदेही, कल्याण कार्यक्रमों, राजकीय शासन व्यवस्था अथवा हेतु के बारे में पारदर्शिता एवं विकास कार्यक्रमों द्वारा विकास हासिल करने के वादों पर जाकर विकास कार्यक्रमों को कार्यकारी बनाने जैसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विविध आयामों की नई संभावनाएं दर्शाती है। केरल का अनुभव एक निदर्शन है जो यह दर्शाता है कि जब जब राजनैतिक इच्छा शक्ति के आधार पर स्थानीय समुदायों को सत्ता एवं धन सौंपा जाता है तो वहां जनता की वास्तविक जरूरतों के लिए जहां जरा सा भी मौका नहीं होता वहां भी बजार संचालित वैश्वीकरण के तर्क के सामने स्थानीय प्रतिरोध भी एक असरकारक प्रतिभाव बन जाता है। केरल राज्य की शक्ति इस बात में है कि वहां नागरिकता के मूल एवं सार रूप वाले समुदायों की नैतिक आवाज को सक्रिय रूप से व्यवहार में लाया गया है।

भारत के इतिहास में केरल का विकेन्द्रीकरण अभियान सार्थक इसलिए बना रहा कि यह अभियान सत्ता की व्यवस्था, उत्पादन एवं संबंधों की व्यवस्था के ढांचे को फिर से बनाने वाले सामाजिक परिवर्तन के राजनैतिक के, खासतौर पर सरकार, शासन व्यवस्था एवं आम जनता के बीच संबंध पुनः स्थापित करता है। यह जरूरी है क्योंकि आखिर में तो सत्ता, उत्पादन एवं संबंधों के विकल्पों को आकार का विचार ये लोग ही करते हैं और इन लोगों से ही आकार मिलता है।

1. जिले की परिस्थिति के बारे में विस्तार से विवरण तैयार करना

जिला स्तर की योजना का पहला चरण यह है कि जिले की परिस्थिति - मानव विकास, प्राकृतिक एवं वित्तीय संसाधनों एवं ढांचागत सुविधाओं के लिए विस्तार से विवरण इकट्ठा करना चाहिए। इस चरण पर विविध स्रोतों से प्राप्त विवरण को इकट्ठा करके उसका मूल्यांकन करके उसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे सरलता और आसानी से समझा जा सके।

इस विवरण में जिले की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, जनसंख्या विवरण, सामाजिक ढांचा एवं आर्थिक तंत्र के बारे में भी विवरण संक्षेप में समझाया जाता है। इस तरह से तैयार विवरण को जिला योजना समिति एवं जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस चरण का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

2. योजना की प्रक्रिया पर विचार करना और उसका परिप्रेक्ष्य तैयार करना

इस प्रक्रिया में योजना के साथ जुड़े सभी हितधारक वर्गों के साथ मिलकर, चर्चा-विचारणा करके जिले की योजना के बारे में दृष्टिकोण तैयार करनी होती है। बारंबार चर्चाओं के द्वारा जिले की प्राथमिकताओं को समझ करके उसके अनुसार योजना का विजन तैयार किया जाता है। यह योजना पांच वर्ष के लिए होनी चाहिए। इस तरह से पांच-पांच वर्ष के लिए पंद्रह वर्ष तक के लिए योजना पर विचार किया जा सकता है।

पांच वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना इस बारे में प्राथमिकता तय करके की जाती है कि जिले के पास कितना धन है व कितना धन किसके लिए है। जब पंद्रह वर्ष तक के विजन को विकास के विशाल दृश्य फलक को ध्यान में रखकर बनाया जाता है उसमें वित्तीय सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि इस कार्य में दीर्घवधि में रहने वाली वित्तीय प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। योजना की इस प्रक्रिया में सभी स्तरों के हितधारकों - ग्राम स्तर, तालूका स्तर, जिला स्तर - को सहभागी बनना जरूरी है जिससे जमीनी स्तर की वास्तविकता एवं कमियों की अवलेहना किए बिना लोगों की महत्वाकांक्षा प्रतिबिंबित हो सके। निर्णय लेने के हर स्तर पर एस.डब्ल्यू.ओ.टी.(स्वोट), क्षमताओं, कमजोरियों, अवसरों एवं खतरों के बारे में विश्लेषण करना वांछनीय है, जिससे उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।

3. वित्तीय स्रोतों का आलेखन

योजना की हरेक इकाई को इस बारे में जानकारी होना जरूरी है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कितना धन मिलेगा और योजना की समग्र समय अवधि के दौरान कितना धन मिलेगा क्योंकि कितना धन मिलेगा इसकी जानकारी के बिना किसी भी योजना पर अमल नहीं किया जा सकता। इस चरण पर जिले को धन किन-किन शीर्ष के तहत मिल सकता है उनकी सूची बनानी चाहिए। इस सूचना के आधार पर योजना बनाने वाली इकाइयां अपने कार्यों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को तय कर सकती हैं। उनको कई कार्यों-कार्यक्रमों को करना होता है परंतु प्राप्त धन के अनुसार ही उन्हें प्राथमिकता तय करनी होती है।

इस तरह से प्राथमिकताओं को तय करके जिन योजनाओं के तहत धन मिलना होता है उन्हीं के अनुसार कार्यों-कार्यक्रमों के लिए कार्य दिया जाता है। इन सब जानकारी का एक लाभ यह होता है कि इकाइयों को पता चलता है कि किस कार्य के लिए उनके स्तर पर धन नहीं मिलेगा, किस कार्य के लिए जिले की अन्य योजना के स्तर पर धन नहीं मिलेगा, ताकि वे इनके लिए धन के लिए सरकारी स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर सकें।

4. सहभागितापूर्ण ग्रामीण योजना

जिले की परिस्थिति के बारे में विवरण तैयार करने, परिप्रेक्ष्य योजना बनाने एवं वित्तीय स्रोतों का आलेख बनाने के बाद चौथा चरण सहभागितापूर्ण ग्रामीण योजना है। सहभागितापूर्ण ग्रामीण योजना तीन स्तर पर होती है - ग्राम पंचायत स्तर, तालूका पंचायत स्तर, जिला पंचायत स्तर। इस योजना में ग्राम सभा की भूमिका को काफी महत्व दिया जाता है। ग्राम सभाओं द्वारा निचले स्तर पर रहने वाली तमाम जनता की आकांक्षाओं एवं सुझावों को योजना में शामिल करने से समग्र योजना प्रक्रिया सहभागितापूर्ण बनती है। यह अपेक्षा रहती है कि ग्राम सभाएं ग्राम पंचायतों की प्रक्रिया तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल रहेंगी जिससे ग्राम सभाओं में तय मुद्दों एवं प्राथमिकताओं को योजना में शामिल किया जा सके।

5. सहभागितापूर्ण शहरी योजना

यह चरण शहरी नागरिकों को नगरीय योजना में समान अवसर प्रदान करता है। यह उप-नगरीय समूहों द्वारा किया जाता है। इस तरह की सहभागिता के लिए वॉर्ड समितियों के अंतर्गत आयोजित नागरिकों की विस्तार सभाएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं। विस्तार सदस्यों को कई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इसके बाद सभी वॉर्ड योजनाओं को नगरपालिका बोर्ड के दर्शन के अनुसार नगरपालिका योजनाओं में शामिल किया जाता है।

6. एकीकृत जिला योजनाओं में ग्रामीण एवं शहरी योजनाओं को शामिल करना

एकीकृत जिला योजनाओं का उद्देश्य यह होता है कि स्थानीय सरकारों (ग्रामीण एवं शहरी) की योजनाओं एवं अन्य योजना इकाइयों की योजनाओं को शामिल करना और इनमें परस्पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना। यह आयोजन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभागीय एवं स्थान विषयक पहलुओं के संकलन के लिए भी ढांचा प्रदान करता है। एकीकरण के चरण पर ग्रामीण विभागीय एवं शहरी स्थान विषयक योजना को एक दूसरे में शामिल करके ग्रामीण एवं शहरी योजनाओं के बीच एकीकरण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करने का कार्य भी शामिल होता है। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के कार्य संबंधी जवाबदारियों यथा संभव सहकारी बातों की पहचान करना। जिला स्तर पर संकलन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कार्य विषयक सहायता प्रदान करने के लिए संकलन समिति की रचना की जा सकती है।

7. जिले की योजनाओं का विनियमन और सामाजिक ऑडिट

जिला स्तर पर कार्यभार सौंपने की दृष्टि से अनुकूल विनियमन व्यवस्था यहां दी गई है। यह व्यवस्था निम्नानुसार कार्य करती है:

ए) सभी चरणों पर योजना एवं क्रियान्वयन अद्यतन (कार्य की प्रगति की जानकारी) इस तरह से करना कि उसे काफी सरलता एवं आसानी से समझा जा सके।

बी) विभिन्न हितधारक वर्ग जो कर रहे हैं उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी उपलब्ध कराना।

विनियमन के दो पहलुओं को खासकर शामिल करना चाहिए

1. सहभागिता की प्रक्रिया को काफी सावधानी से हाथ में लेना चाहिए, एवं
2. प्राप्त परिणाम मात्रा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से विशाल श्रेणी को शामिल करने वाले होने चाहिए।

उपसंहार

इस समग्र चर्चा के सार रूप में यह कहा जा सकता है कि शासन व्यवस्था एवं खासतौर पर योजना एवं निर्णय प्रक्रिया अधिक उत्तरदायी, प्रतिभावपूर्ण और सहभागी बनाने वाला असरकारक विकेन्द्रीकरण बढ़े तो उसके द्वारा स्थानीय सेवाएं अधिक कार्यक्षम, समन्यायपूर्ण, आधारक्षम एवं आर्थिक रूप से वहनीय बन सकती हैं और इसमें उचित संस्थानों एवं संसाधनों का सहयोग मिले तो जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। खासतौर पर समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के जीवन की गुणवत्ता और इस तरह से गरीबी दूर करने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय बन सकती है।

JÉÉt ºÉ®lÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É: Ê´ÉÊ¶É¹ÉYÉÉ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®

दिनांक 18 दिसम्बर, 2011 को लोकप्रिय टेलिविजन चैनल एन.डी.टी.वी. द्वारा अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'योर कॉल' में नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री **प्रो. अमर्त्य सेन** तथा उसके 'हंगर एंड पब्लिक एक्शन' पुस्तक के सहलेखक, विकास अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री **प्रोफेसर जीन ट्रेज** के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकार के संदर्भ में भारत की हाल की प्रथमिकता एवं लोकतंत्र में सरकार की जवाबदारी के संदर्भ में सवाल-जबाव एवं चर्चा का प्रसारण किया गया। इस लेख में कार्यक्रम में विश्लेषित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को संवाद के रूप में पेश किया गया है।

टेलिविजन से प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रमों में एन.डी.टी.वी. न्यूज चैनल का 'योर कॉल' एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें दर्शक सप्ताह के विशेष मेहमान से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम की संचालिका सोनिया सिंह ने 18 दिसम्बर, 2011 को 'विकास बनाम वृद्धि' एवं आर्थिक 'सुधारों के दूसरे चरण की जरूरत' के बारे में हमारे देश में चल रही व्यापक चर्चा के संदर्भ में प्रो. अमर्त्य सेन तथा प्रो. जीन ट्रेज का कार्यक्रम में स्वागत किया था।

सोनिया सिंहः प्रोफेसर सेन वर्तमान आंकड़ों के लेकर भारत सरकार आर्थिक वृद्धि दर एवं औद्योगिक वृद्धि दोनों के गिरने से चिंतित है, जबकि हममें से काफी लोग यह कहते हैं कि 'नरेगा' एवं 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम' जैसे महत्वाकांक्षी कल्याणकारी कार्यक्रमों को ध्यान में लेने की जरूरत है। आपका क्या मानना है कि भारत जैसे देश के लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रो. अमर्त्य सेनः मेरे अनुसार लोक कल्याण या लोक सुखकारी के अर्थ में लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आना व दिखना चाहिए, इसे देखने को लोग कहते हैं। वृद्धि तो किसी दूसरे बारे में अर्थात् सामान्य संसाधनों का निर्माण करने के लिए जरूरी है। सामान्य संसाधनों को संवेदनशील तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है और मुझे ऐसा पता चला है कि यदि संसाधनों को संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा अन्य परियोजनाओं के द्वारा सस्ती दर पर अनाज देकर भुखमरी जैसे प्रश्नों को हल करके लोगों की जीवन सुधारा जा सकता है।

अरस्तू ने जोरदार तरीके से कहा है कि हमें संपत्ति एवं आय की सीधी इच्छा नहीं है, हमें तो कुछ छऐसा चाहिए कि जिससे दोनों की इच्छा प्रकट हो। यह 'कुछ' जो है वह हमारा मानव जीवन है जो सतत संवर्धित किया जा सकता है। यानि कि विकास केन्द्र में रहता है जिसके लिए वृद्धि की जरूरत है। परंतु हमारे दिमाग में यह बैठ गया है कि तीव्र वृद्धि दर महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे ही सार्वजनिक संसाधन पैदा होते हैं। यह वृद्धि दर खास महत्वपूर्ण तब बन जाती है जब सार्वजनिक संसाधन इस तरह पैदा होते हैं कि वे मानव जीवन से अलग पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हाल में तथा भविष्य के लिए सुखकारी, खुशी एवं स्वंतत्रता रोजगार एवं उपज के लिए जनता की क्षमता बढ़ाती है। अतः विकास के लिए जरूरी वृद्धि की दृष्टि से पूरी बात समझने के लिए बीच में से बनाम शब्द हटाने की जरूरत है एवं इसके बदले मैं व जीन कहते हैं कि वृद्धि विकास की मध्यस्थ है।

सोनिया सिंहः प्रो. ट्रेज आपने भुखमरी के बारे में काफी काम किया है। हमारा आबादी का एक बड़ा भाग वास्तव में भूख से पीड़ित है। यह सच सबके सामने लाना कठिन क्यों है और भारत जैसे देश में यह सत्य स्वीकार्य क्यों नहीं है। आपने देखा है कि अन्न सुरक्षा कानून के प्रति कितना विरोध है, तो आपके विचार से अंत में 'ज्यादा' किसे कहेंगे।

प्रो. जीन ट्रेजः वास्तव में तो यह रुख 'भुखमरी' को ही लागू नहीं पड़ता। बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसी कई बाते हैं जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं जो सबको लागू पड़ती हैं। परंतु समृद्ध

महत्वपूर्ण मुद्दे

- स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, पोषक आहार एवं पूर्ण आहार के अभाव में बाल मृत्यु एवं कुपोषित बालकों की मात्रा अधिक होना मात्र सरकार या विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए शर्मनाक बात है।
- विश्व में भारत सबसे अधिक कुपोषित बालकों वाला देश है।
- राष्ट्रीय आपात स्थिति मानते हुए इसे सार्वजनिक नीति में प्राथमिकता देनी चाहिए।
- विश्व में भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे कम खर्च करने वाला देश है।
- भारत में स्वास्थ्य देखभाल का 80 प्रतिशत निजी कंपनियों के हाथ में है।
- इस विचारधारा का अभाव है कि लोग सशक्त बनें और उसकी संकल्पना संकुचित है।
- खाद्य सुरक्षा को पोषणपूर्ति के रूप में नहीं देखा जाता।
- सही बदलाव लाने के लिए वर्ग विभाजन के स्थान पर सबको समान स्तर पर तमाम सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके लिए सरल व पारदर्शी खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाना जरूरी है।
- हाल की आर्थिक मंदी को देखते हुए भारत के लिए अनाज के संग्रहित भंडार का वितरण करना अर्थतंत्र की दृष्टि से जरूरी है।
- पी.डी.एस. में अनाज आदि चीजों के बदले धन का हस्तांतरण होने से उसमें भ्रष्टाचार का अवसर काफी कम रहता है।
- जनता को मिलने वाली सहायताओं एवं उनके मूलभूत अधिकारों के लिए जन जाग्रति भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है।

लोगों एवं उन जैसों को हमेशा लगता है कि उन (वंचित) लोगों को यह कुछ बुरा भी नहीं है। डॉ. अंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र के इस बात को शुरू में ही समझ लिया था। उन्होंने देख लिया था कि भारत में लोगों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में लाना एक बुनियादी चुनौति है एवं मेरे अनुसार संपत्ति की हो, जाति की हो या सामाजिक लिंग की हो.. ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़ी भारी असमानताएं जब तक रहेंगी तब तक यह चुनौति और उनके सामने संघर्ष भी जारी रहेगा।

इस चर्चा के दौरान, भारत के अलग-अलग शहरों एवं गांवों में से लोगों की खाद्य सुरक्षा के बारे में विचार दर्शाए गए हैं। जिनमें अधिकांशतः खाद्य सुरक्षा अधिकार बिल के बारे में जानकारी के अभाव, कुपोषित बालकों की मात्रा के बारे में आक्रोश, राहत दर पर सात किलो अनाज की शुरूआत तथा आपूर्ति एवं वितरण में भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर आक्रोश प्रतिबिंबित हुआ था। इन विचारों को देखने के बाद चर्चा आगे बढ़ी थी।

सोनिया सिंहः प्रो. सेन लोगों को विचारों के बारे में आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या है?

प्रो. अमर्त्य सेनः वास्तव में बहुत खेदजनक। भुखमरी के सच को स्वीकार करना या मानना क्यों कठिन है इस प्रश्न के जवाब में मेरे विचार में तीन मुद्दे हैं। सबसे पहला - भुखमरी का दिखाई देना। देखो, अकाल दिखाना बहुत सरल है। परंतु रोज-रोज लोग भूख से मर रहे हैं यह एक अलग बात है। लोगों का वजन कम है, वे कमजोर-दुर्बल हैं, उनके जीने की संभावना ही घटती जा रही है, उनके दिमाग की क्षमता प्रभावित हो रही है, उनके शिक्षण की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है। ये सभी वास्तविकताएं ध्यान में नहीं आती यह दूसरा प्रश्न है। इस बारे में अभी भी अज्ञानता व्याप्त है। लोगों को जितना जानना चाहिए वे उतना नहीं जानते। इसीलिए ये सार्वजनिक मीडिया और सार्वजनिक प्रदर्शन महत्वपूर्ण हैं। इनसे लोगों को इन मुद्दों के बारे मं पता चलता है। विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में देश की कुल आबादी की तुलना में कुपोषण के शिकार बालकों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। इसका हमें पता होना चाहिए। जिनको इसकी जानकारी है वे इस सत्य को

सबके सामने तीव्रता से रखने के लिए इच्छुक भी है और तीसरा मुद्दा यह है कि जो इस सत्य को 'भुगतते' हैं उन लोगों की मीडिया में कोई आवाज ही नहीं होती या सबके सामने इस सत्य को रखने की क्षमता ही नहीं होती।

सोनिया सिंहः इसीलिए तो भले ही कैबिनेट इस पर चर्चा कर रही है तो भी खाद्य सुरक्षा बिल के हाल के मुद्दे पीछे धकेले जा रहे हैं। उसमें पेश कई सही आंकड़े आप दोनों सामने लाए हो। इसको देखते हुए हमारे पड़ोसी देशों बंगलादेश व नेपाल के साथ तुलना करें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बंगलादेश की तुलना में दुगुनी होने के बावजूद बाल मृत्यु की मात्रा और कुपोषित बालकों की संख्या की दृष्टि से इन देशों की स्थिति काफी अच्छी है जबकि भारत विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बालकों वाला देश है।

प्रो. जीन ट्रेजः सबसे पहले तो जानने की जरूरत है कि भारत विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बालकों वाला देश है। इस हकीकत के बावजूद हम जगते नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हम सिलसिलेवार देखें तो यह राष्ट्रीय आपात स्थिति है जिसको सार्वजनिक नीति में सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

हम हमारे लाखों-करोड़ों बालकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, भविष्य ही नहीं बल्कि उनके वर्तमान को देखते हुए भी हम उन्हें नहीं देते। आप जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पीछे धकेलने की या उसके बारे में विवादों की बात करते हो तब मैं चकरा जाता हूं क्योंकि इसकी दलीलें उचित नहीं है। इस बिल को स्थगित करने के बारे में मेरा विचार चिंताजनक होने के साथ एक अवसर देने वाला दोनों हैं।

चिंताजनक इसलिए कि वह इस बिल के सामने विरोध दर्शाता है। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए यह मानने लायक बात नहीं है, क्योंकि उसे अमल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों का मानना है कि इस बिल से मानों टनों ईंटें निकाल दी जाएंगी जो अर्थतंत्र की इमारत और वित्त व्यवस्था की कमर तोड़ देगा...आदि, आदि, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बिल तो काफी अधिक (व्यवस्था संबंधी) पहलुओं को संघटन मात्र है और यह प्रक्रिया वास्तव में चालू ही है। पी.डी.एस. में सुधार, मध्याह्न भोजन में विघ्न, आइ.सी.डी. योजना का सार्वत्रीकरण आदि पिछले कई वर्षों से चालू ही है। और अब वे इन तमाम एक दृढ़ संघटन वाली ऐसी कार्यप्रणाली चाहते हैं जिनके द्वारा भुखमरी को समाप्त किया जा सके।

मुझे लगता है कि बिल को सिद्धांत रूप में कोई नहीं नकार सकता फिर भी इसे ठोस कार्य प्रणाली के रूप में देखना जरूरी है..। आपने उन कानूनों के लाभ देखे हैं जो खूब मजबूत एवं ताकतवर होते हैं। जिनके अमल से असहाय लोगों के प्रति राज्य को जवाबदार ठहराया जा सकता है। परंतु इसके दूसरी ओर यह है कि वे हठीले और गैर-विवेकी भी होते हैं। हमारा राष्ट्रीय ढांचा भी ऐसा ही बन गया है। हमें यह देखना है कि यह ढांचा व्यवस्थित बने क्योंकि जो अब बनेगा वह अगले 50 वर्षों से अधिक तक प्रभावी रहेगा। अतः विवाद यह नहीं होना चाहिए कि हमें बिल अच्छा लगता है कि नहीं, बल्कि इसे लागू किया जा सकता है या नहीं। इसमें लापरवाही प्रतिबिंबित होती है। चर्चा-विवाद तो इसकी ढांचागत विवरणों तथा मजबूती के बारे में होनी चाहिए।

इसके बारे में देखें तो बी.पी.एल. को लक्ष्य में रखने वाले निष्फल अभिगम को अभी भी यथावत रखना, उसके आधार पर जटिल, संकुल एवं अव्यावहारिक रखना आदि मुद्दे इस बिल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। अभी भी बी.पी.एल. अर्थात् भूख भरे बी.पी.एल. को ध्यान में लेने की बात ही टाल दी गई है। एक से अधिक स्तरों तक योजित, दो वर्ग करते तीन वर्ग तक वितरण उसका कठोर रूप तैयार हो रहा है। जबकि वास्तव में इस बिल को अधिक प्रभावी बनाना हो तो उसको सरल बनाना चाहिए और ऐसा करना बहुत आसान है। मुझे लगता है कि संसद में पेश करने या पास करने से पहले इस दिशा में चर्चा व कार्य करना चाहिए न कि वित्तीय सुगमता और उपलब्धि जैसे बोगस मुद्दों पर।

इस अधिनियम में करीब 60 मिलियन टन अनाज की जरूरत बताई गई है, तो पिछले कई वर्षों से हम कितना अनाज उपलब्ध कराते आए हैं। यह कुछ ज्यादा नहीं है, यदि पिछले 30 वर्षों के आंकड़े देखें तो उपज हर वर्ष पांच प्रतिशत की दर से बढ़ती है।

इस वृद्धि दर की हमेशा जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से फसल मिलती है उस तरीके से मिलती रहे तो भंडार तो भरता रहेगा क्योंकि उस अनाज का संग्रह कहां करें यह पता नहीं है। तो वास्तव में उपज प्राप्त करने के साथ-साथ अनाज को भोजन के रूप में उपयोग होते रहने की जरूरत है यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है।

सोनिया सिंहः प्रो. सेन, राजनैतिक दल इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं अथवा ऐसे क्षेत्र हैं जहां बालकों को पोषक आहार नहीं मिलता और एन्सीफिलेटिस की बीमारी से पीड़ित होने लगते हैं (जो दिमाग की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है) तो यह बिल कब पास होगा ऐसे सवाल करने वाले लोगों को आप देखते हैं। फिर भी मीडिया और सरकारें वहां से अपना ध्यान हटा रही हैं तब भारत के नीति निर्धारकों को क्या जवाब देना चाहिए।

प्रो. अमर्त्य सेनः देखो, लोगों को जबाव नीति निर्धारकों को नहीं बल्कि राजनेताओं को देना चाहिए। मां-बाप के सवाल में बालक की चिंता दिखती है। इन बीमारियों, बीमार लोगों के इलाज का सबको पता है। ऐसे जीवन को सुधारा जा सकता है, मरते को जीवन दे सकता है। मौत के मुंह में जाने वाली स्थिति से तो उबारा जा सकता है। भारत भर में इसके लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए जो अब तक नहीं हुए हैं। हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन उपलब्ध कराया ही नहीं क्योंकि हम इसे प्राथमिकता मानते ही नहीं। जब प्राथमिकता के स्तर तय करेंगे तब कितना धन उपलब्ध कराया जाएगा यह तय किया जाएगा।

उदाहरण के लिए जी.डी.पी. के प्रतिशत के संदर्भ में चीन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 60 प्रतिशत खर्च करता है, यानि भारत की तुलना में चार से पांच गुना अधिक। वह लोकतांत्रिक देश नहीं है फिर भी यह साबित होता है कि सरकार लोगों का अधिक ध्यान रखती है वे सरकार के ऊपरी स्तर पर दयालु एवं बुद्धिशाली लोगों को भेजने में सफल रहे हैं। उसमें हमारा लोकतंत्र विफल रहा है जो हमारी विफलता है। जब तक संस्थागत बदलाव नहीं होगा तब तक दूसरे बदलाव नहीं हो सकते और बदलाव एक साथ करने होंगे। इसके लिए सत्ताधारी दलों, विपक्षी दलों एवं सरकार को एक दूसरे को सहयोग देना होगा क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कोई मरे, दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में हमारे बालक कुपोषण एवं दुर्बलता के शिकार हों उसके लिए सरकार ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों सहित सबके लिए शर्मनाक बात है। इसमें भी यदि विपक्षी दल दबाव लाने के बदले फालतू मुद्दे उठाते हों अथवा जाति और वर्ग के आधार पर मात्र आबादी के किसी छोटे से समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों को ही महत्व देता हो तो वह भारत की समग्र राजनीति की विफलता है।

सोनिया सिंहः उदाहरण के लिए एफ.डी.आइ. एवं मल्टी ब्रांड रिटेल के मुद्दों को विपक्ष विरोध करते हैं, लेकिन विपक्ष एकमत होकर सरकार को विशेष कुछ करने के लिए दबाव नहीं डालते। यह भारत का दुर्भाग्य ही है।

प्रो. अमर्त्य सेनः बिल्कुल सही। एफ.डी.आइ. सही बात है कि नहीं यह तो इस पर आधारित है कि हम निवेश को कहां तक सीमित करते, कई बार यह अच्छा व कई बार यह खराब साबित होता है। परंतु मजे की बात यह है कि इन मुद्दों पर विपक्ष एक हो जाता है एवं बालकों के कुपोषण जैसे गंभीर मुद्दे पर उनमें एकता देखने को नहीं मिलती। आपके कार्यक्रम में दिखाए गए लोगों को देखकर खून खौल उठना चाहिए। परंतु किसी का खून खौलता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। यह अच्छा है कि आपके कार्यक्रम से लोगों की आवाज सामने आई परंतु यह नाकाफी है इसके ऊपर राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया आनी चाहिए।

प्रो. जीन ट्रेजः मैं इसमें एकाध बात जोड़ना चाहता हूं, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दे तो खाद्य सुरक्षा बिल दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने वाले नहीं हैं। क्योंकि खाद्य सुरक्षा को पोषण पूर्ति के रूप में नहीं देखा जाता। जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, पानी, स्वच्छता, शिक्षण जैसे सभी मुद्दों का समावेश होता है क्योंकि ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम उस बारे में एक स्वागत योग्य कदम बन सकता है। दशकों से जो काम बाकी हैं उसमें स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र को समझने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य पर जो खर्च करते हैं उसे देखना चाहिए। यू.के. व यूरोप के जिन देशों को हम

पूंजीवादी देश कहते हैं वे इस क्षेत्र में 80 से 85 प्रतिशत खर्च करते हैं। जिसकी तुलना में हम (लोकतांत्रिक देश के रूप में) 15 से 20 प्रतिशत खर्च करते हैं। वहां स्वास्थ्य के मुद्दे पर सार्वजनिक मध्यस्थता बिल्कुल मूलभूत बात मानी जाती है। मंत्रालय और शासन के स्तर पर स्पष्ट समझ है कि स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दे पर निजी व्यवस्थाएं कभी भी अच्छा कार्य नहीं करती।

सोनिया सिंहः इसके बावजूद भारत में स्वास्थ्य देखभाल का 85 प्रतिशत कार्य निजी कंपनियों के हाथों में है।

प्रो. जीन ट्रेजः सच्ची बात है और ये न केवल गरीबों के लिए बल्कि ज्यादातर लोगों के लिए खराब सेवाएं ही प्रदान करती हैं। मेरे विचार से सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी कंपनियां कभी भी अच्छा कार्य नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि जन स्वास्थ्य का निजी क्षेत्र तो लोगों की बीमारियों पर ही निर्भर होता है। स्वच्छता, पानी के स्रोतों की स्थिति आदि उसके साथ जुड़े मुद्दे हैं। निजी क्षेत्र या बीमा कंपनियां इस क्षेत्र में कभी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की खराब स्थिति ही उनके लिए लाभकारी होती है इसी से हमारे यहां सबसे अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की अवहेलना हुई है। इस क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है तथा इन मुद्दों को राजनैतिक मुद्दे बनाना चाहिए जिसका इस समय बिल्कुल अभाव है।

सोनिया सिंहः प्रो. ट्रेज आप नरेगा योजना के मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक हैं, आपको नहीं लगता कि उसका जिस तरीके से अमल होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। नरेगा एवं भोजन का अधिकार जैसी योजनाओं को ध्यान में रखकर कई लोगों का मानना है कि मिलने वाली सहायताओं और सशक्तिकरण दोनों पीछे रहे दृष्टिकोण एवं अभिगम गफलत वाले हैं। आपका क्या मानना है?

प्रो. जीन ट्रेजः इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं हाल में चल रही भ्रष्टाचार विरोध की चर्चा को यहीं शामिल कर लेना चाहता हूं। मेरे विचार से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों को उन्हें मिलने वाली सहायताओं एवं अधिकारों के बारे में स्पष्टता होना जरूरी है। उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है और वहीं पर पी.डी.एस. एवं सशक्तिकरण गारंटी अधिनियम के बीच फर्क जानना रोचक है। इन दोनों में भ्रष्टाचार का भय था और उसे रोकने के प्रयास भी किए गए। एशिया में बैंक एवं पोस्ट ऑफिस खातों के द्वारा वेतन का भुगतान करने की शुरूआत से दूसरे लोगों द्वारा किए जाने वाले घपले को कम करने में मदद मिली है।

परंतु वास्तव में उसमें महत्वपूर्ण अंतर है। एशिया में मुख्य समस्या है कि ज्यादातर लोग दस्तावेजों में फेरबदल करके पैसा बनाते हैं। अतः इसमें किसी को वंचित नहीं रखा जाता, वे श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन देते हैं, परंतु उसके बाद गलत बिल बनाकर दस्तावेज बनाकर आंकड़ा बढ़ा देते हैं। जबकि पी.डी.एस. में यह संभव नहीं है क्योंकि पी.डी.एस. पूरी तरह से हस्तांतरण ही है। इसमें जहां अनाज पैदा होता है वहां से लेकर अन्य जरूरतमंद लोगों को तक पहुंचाया जाता है। इस माल की आवाजाही में पैसा बनाना आसान नहीं है इसके सिवा कि लोगों को मिलने योग्य सामान दिया ही नहीं जाए। यहां पर लोग उन्हें मिलने वाले माल एवं उसकी मात्रा की जानकारी रखें तो वही उनका सबसे प्रभावी रक्षक बन सकता है। फिर भी वे संघर्ष कर सकते हैं और पिछले कई वर्षों से कई राज्यों में लोगों को इस संघर्ष में सफलता मिली भी है। पी.डी.एस. में ज्यादा लोगों को शामिल करने की जरूरत है।

भले ही तमिलनाडु की तरह पूरी तरह से सार्वत्रिक या छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान आदि की तरह लगभग सार्वत्रिक नहीं किया जाए तो भी उसका विस्तार बढ़ना जरूरी है, जो अब कई राज्यों में बढ़ने भी लगा है। विस्तार के साथ उनको मिलने वाले लाभों की स्पष्टता भी होना काफी जरूरी है। जैसे छत्तीसगढ़ में अब सबको पता है कि उन्हें हर माह राहत दर पर 35 किलो अनाज मिलेगा जिसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। जब राशन की दुकान बंद होती है तब लोग हंगामा मचा देते हैं और भ्रष्टाचार के सामने यह सबसे बड़ा शस्त्र है। हमारे द्वारा नौ राज्यों में बी.पी.एल. समूह पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि लोगों को मिलने वाली कुल सहायताओं में से उन्हें 85 प्रतिशत सहायता मिलने लगी हैं। इसे काफी अच्छी शुरूआत कही

जा सकती है। भले ही अभी भी 15 प्रतिशत कमी रही है परंतु वह भी स्वीकार्य नहीं है, फिर भी लोग अपने अधिकारों एवं मिलने वाली सहायताओं के बारे में काफी जानकारी रखने लगे हैं।

अब भोजन के अधिकार के बिल पर आएं तो इस अधिनियम के तहत मिलने वाली सहायता का विवरण पारदर्शी रूप से सरलता से मिले उस तरीके से लोगों के सामने रखना जरूरी है, इससे ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सकेगा और सभी का एक स्तर पर ही समावेश हो सकेगा। इस दृष्टि से पहले ग्रामीण जनता की 25 प्रतिशत आबादी की अलग पहचान करना और फिर शेष जनता को दो समूहों प्राथमिक समूह एवं सामान्य समूह में विभाजन करने की सूचनाएं उचित नहीं है।

इसका कारण यह है कि इसमें सामान्य समूह में शामिल लोगों को नाम मात्र की सहायता मिलेगी जिसका कोई अर्थ ही नहीं। क्योंकि उससे तो फिर कुल जनता की पांच प्रतिशत आबादी वाले प्राथमिक समूह तक ही इन सहायताओं का विस्तार रुक जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन नहीं करता। यदि आप कुछ करना ही चाहते हो तो इन सबको एक नाव में बैठाओ, इन सबको एक समान सामान्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करो और इस तरह वास्तव में बदलाव आएगा।

प्रो. अमर्त्य सेनः अधिकार बनाम सशक्तिकरण का मुद्दा वास्तव में कठिन, पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार विस्तृत विरोधाभास वाला मुद्दा है। अधिकारों के द्वारा ही सशक्तिकरण होना संभव है। यह तो वही बात हुई कि कानून के अनसार सभी लोगों को समान अधिकार है इसमें हम नहीं मानते परंतु मैं लोगों का सशक्तिकरण करना चाहता हूं। परंतु जब तक सबको एक कानून के तहत, समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, मूलभूत रूप से सशक्त बनाने की विचारधारा का अभाव होगा तब तक यह किस तरह संभव है। जब तक लोग सशक्त नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता, क्षमता एवं सभी को चाहिए वैसा सम्मानजनक जीवन नहीं मिलेगा - कुछ लोगों को ऐसा जीवन मिला है क्योंकि वे अमीर हैं। जो अमीर हैं उन्हें अच्छी शालाओं में शिक्षण, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिलती। यदि लोगों का सशक्तिकरण करना हो तो जो वे मांग सकते हों उन्हें वह देने की हमें तैयारी रखनी होगी और वह है अधिकार। मैं दार्शनिक बात नहीं करता, परंतु मूलभूत संकल्पना में ही विरोधाभास है। हाल में जिस तरह के अधिकार देने के बात चल रही है उसकी मूल संकल्पना ही कुंठित है।

सोनिया सिंहः प्रो. ट्रेज भारत के लिए भोजन के अधिकार का बिल पास करना किसलिए जरूरी है।

प्रो. जीन ट्रेजः मेरे विचार से आर्थिक मंदी जैसे इस अल्पकालिक अवरोध के बदले दीर्घावधि प्रवाहों को देखना जरूरी है। जैसा प्रो. अमर्त्य सेन ने कहा है यह दीर्घावधि प्रवाह रहेगा, लंबे समय से सार्वजनिक आय में वृद्धि रही है, उत्पादन में भारी सफलता से संग्रह का भी काफी भंडार है, पी.डी.एस. की कार्य प्रणाली में भी सुधार नजर आता है, आदि। कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को राजकीय मूल्य की तरह देखा गया है और वे उसमें सतत सुधार कर रहे हैं और यह अधिनियम आने वाले 50 से अधिक वर्षों को प्रभावित करेगा उस स्थिति में आर्थिक स्थिति मंद पड़ने के बावजूद भारत तेजी से विकास कर रहा है और अन्य देश भी भारत के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।

इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक बेहतर कदम साबित होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि यह अधिनियम वास्तव में पहले से चलते कई कार्यों का एक व्यवस्थित सुघटन ही है। जो सही कदम ही नहीं बल्कि वहनीय भी है। अनाज भंडार को देखते हुए मुझे उचित नहीं लगता फिर भी जो अल्प कालिक समस्या हो तो भी दो-तीन वर्ष के लिए अमल तो कर ही सकते हैं क्योंकि भारत के अर्थ तंत्र द्वारा अभी तक किए गए संग्रह के वतिरण की तत्काल जरूरत है। एक सामाजिक कार्य के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक व्यवहारों की दृष्टि से भी हमारे पास निकलने का रास्ता नहीं है। खासतौर पर तब जब काफी समय से अर्थ तंत्र तेजी से विकास कर रहा है फिर भी उपेक्षित नागरिकों के हिस्से में तो खराब परिणाम ही आए हैं। अर्थात् अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बाद भी यह केवल स्वास्थ्य व पोषण का ही सवाल नहीं है, यह अर्थ तंत्र के लिए जरूरी वितरण का सवाल भी है एवं उसके लिए हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है।

¦ÉEÉ®úiÉ ¨ÉÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eò Ê´ÉÉ¯ûr ºÉPÉ¹É ¨ÉÉ ±ÉÉEò{ÉÉ±É Ê¤É±É

‘उन्नति’ की **सुश्री ज्योति मुंदरी** एवं **हितेन्द्र चौहान** लिखित इस लेख में सुशासन की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को जड़ से दूर करने के लिए लोकपाल बिल की संरचना एवं सत्ता क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है।

सुशासन की हाल में प्रचलित संकल्पना अभी नई है। 1989 में विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के सहारा के प्रांतों के बारे में प्रकाशित विवरण उस प्रांत में सृजित आपात काल को शासन के आपात काल के रूप में वर्णित किया गया था। सुशासन वास्तव में तो निर्णय प्रक्रिया की जरूरत तथा सार्वजनिक नीतियों को बनाने को आगे रखते हैं। जिसका अर्थ है सार्वजनिक हित में मुद्दों को पारदर्शी, जवाबदार, सहभागी एवं समानता के स्तर पर व्यवस्थापन करना। वैसे सुशासन की नींव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष रहता है। भ्रष्टाचार मानव जीवन पर सीधा असर करता है और उसका प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आय की असमानता, सेवाओं की प्राप्ति जैसी हरेक बातों पर पड़ता है। यह गरीब-अमीर के बीच की खाई को बढ़ाती है। वैसे तो भ्रष्टाचार दुनिया के हरेक देश में मौजूद है फिर भी विकासशील देशों में यह अधिक फैला हुआ है एवं यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है।

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2005 में भारत में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सार्वजनिक कार्यालयों में अपना कार्य कराने के लिए 55 प्रतिशत भारतीयों को या तो सीधे रिश्वत देने अथवा सिफारिश का रास्ता अपनाना पड़ता है। ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स में विश्व के 178 देशों में भारत को 87वां स्थान मिला है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के भ्रष्टाचार विरोधी समझौते (यू.एन.सी.ए.सी.) अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे पहला कानूनी शस्त्र है। उसके आठवें प्रकरण और 71वें लेख में यू.एन.सी.ए.सी. उसके सहभागी देशों को अपने कानूनों, संस्थाओं तथा कार्यप्रणालियों को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार विरोधी अनेक बारीक तथा व्यापक कदमों पर अमल करने को बाध्य करता है। इन कदमों का उद्देश्य कानून का प्रभावी अमलीकरण तथा गुनाहखोरी के विरुद्ध रक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर सहकार, तकनीकी सहायता, सूचना का आदान-प्रदान तथा इन सब पर अमल करने के लिए सुचारू व्यवस्था तैयार करना है। अस्थाई समिति द्वारा मंजूर यू.एन.सी.ए.सी. को अक्टूबर, 2003 में सामान्य समिति द्वारा संकल्प करके स्वीकार किया गया जिसे 14 दिसम्बर, 2005 से लागू किया गया। अन्य 139 देशों के साथ भारत ने इस समझौते पर 2005 में हस्ताक्षर किए।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना था। यू.एन.सी.ए.सी. की धारा 6(2) के अनुसार, प्रत्येक देश सार्वजनिक सत्ता तथा सार्वजनिक संस्थाओं से स्वतंत्र एक ढांचे का निर्माण करेगा जिसके पास जांच करने तथा मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। धारा 7(4) के अनुसार देशों के स्थानीय कानूनों में पारदर्शिता, परस्पर विरोधी हित निवारण एवं व्यवस्था मजबूतीकरण को मूलभूत सिद्धांत के रूप में सुनिश्चित करे तथा धारा 6 के अनुसार नियम भंग करने वाले लोक सेवक पर कार्यवाही को कानून के तहत शामिल करना प्रत्येक राज्य व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम-1947 बनाया गया था जिसके बाद 1988 में उसे सर्वग्राही एवं व्यापक बनाने के लिए सुधार करके भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम-1988 को लागू किया गया है। इसके बाद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आइ.), मुख्य सूचना आयोग (सी.आइ.सी.) एवं नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक कार्यालय (कैग) तथा राज्य स्तर पर स्थानीय भ्रष्टाचार उन्मूलन जैसी अनेक सक्षम संस्थाएं कार्यरत हैं। इन सभी

कानूनों, संस्थाओं, के बावजूद हमारा समाज भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त नहीं हुआ।

भारत की न्यायपालिका इस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में काफी समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल में निजी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए कानून भी नहीं है। भारत की न्यायपालिका के शक को साबित करने के लिए सबूतों की सख्त जरूरत का कानून तोड़ने वाले पूरा फायदा उठाते हैं। इसके अलावा न्यायतंत्र में होने वाली देरी सजा की कार्यवाही को तेज नहीं होने देती। इन तमाम मुद्दों के साथ इस समय की प्रणालियों के बारे में टिप्पणी करते हुए विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि सरकार से स्वतंत्र एवं प्रभावी एकसूत्री भ्रष्टाचार विरोधी संस्था नहीं है जहां जाकर नागरिक, राजनेता या सरकारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत कर सकें तथा जो गड़बड़ियों की जांच कर सके। इतना ही नहीं, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास पूरे अधिकार हैं लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है जबकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्वतंत्र है तो उसे पर्याप्त अधिकार एवं संसाधन नहीं दिए गए।

इस परिप्रेक्ष्य में भारत में लोकपाल बिल सबसे पहले 1969 में पेश किया गया था। उसका मसौदा लोक सभा में तो पास हुआ परंतु राज्य सभा में कभी भी पास नहीं हुआ। उसका मसौदा उसके बाद से वर्ष 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 एवं 2008 में कुल नौ बार पेश किया जाता रहा। परंतु संसद ने उसे कभी भी सर्वानुमति से पास नहीं किया। लोकपाल बिल का मुख्य उद्देश्य देश को केन्द्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति द्वारा राजनीति एवं सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना था।

लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करते समय उठे तमाम प्रश्नों के बारे में संशोधनों तथा चर्चा-विचारण करने के लिए काफी समितियां भी नियुक्त की गई। इनमें निम्न शामिल हैः

(1) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग - 1996
(2) संविधान के अमलीकरण की जांच करने के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग - 2002
(3) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग - 2007

हाल ही में अगस्त माह में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री वी. नारायणस्वामी द्वारा संसद में लोकपाल बिल-2011 पेश किया गया। जिस पर उग्र चर्चाओं के बाद भी वह पास नहीं हो सका। मजबूत लोकपाल बिल के लिए अण्णा हजारे प्रेरित जन आंदोलन 'फाइट अगेन्स्ट करप्शन' शुरू होने के बाद लोकपाल बिल का आखरी मसौदा बनाने के लिए समिति बनाई गई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में असहमति के कारण अण्णा हजारे समूह ने इसका बहिष्कार किया। केन्द्रीय केबिनेट द्वारा तैयार मसौदे में अण्णा हजारे समूह तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं का कई मुद्दों पर विरोध था। इसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकारी लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने वाले या आवाज उठाने वाले के विरुद्ध ही निशाना लगाने वाला लगता था। जबकि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी को गैर-कानूनी रूप से संरक्षण मिलता था। इस मसौदे के अनुसार इसमें यह सिफारिश थी कि नागरिक लोकपाल के पास जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस करे तो वह सरकारी अधिकारी किसी भी जांच में से गुजरे बिना विशेष न्यायालय में अपने बचाव में अपील कर सकता है। इतना ही नहीं उसके लिए सरकारी अधिकारी को वकील की सेवाएं निशुल्क मिल सकती

लोकपाल बिल के मुद्दे पर कुछ प्रश्न

(1) लोकपाल की नियुक्ति की पद्धति एवं संरचना क्या रहेगी?
(2) उसके अधिकार क्षेत्र में केवल सरकारी कर्मचारी ही आएंगे या प्रधान मंत्री एवं सांसद जैसे राजनैतिक पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा?
(3) भ्रष्टाचार के मामले में एक ही स्वतंत्र सत्ता रखने के लिए सी.वी.सी. और सी.बी.आइ. को भी लोकपाल के अंतर्गत रखना चाहिए या नहीं?
(4) लोकपाल की भूमिका मात्र सलाहकार की ही रहेगी या उसे सजा सुनाने का भी अधिकार रहेगा?
(5) उसे सुओ-मोटो (अपने आप करने) की सत्ता मिलेगी या जांच करने के लिए लिखित में शिकायत मिलना जरूरी होगा?
(6) क्या प्रधान मंत्री को अलग रखा जाएगा?
(7) सांसद अथवा मंत्री के विरुद्ध शिकायत को सुनने से पहले लोकपाल को किसी प्राधिकारी की अनुमति लेनी होगी?

थी। जबकि शिकायत करने वाले को स्वयं ही केस लड़ना था। सबसे चौंकाने वाला मुद्दा तो यह था कि शिकायत गलत पाए जाने पर शिकायत करने वाले नागरिक को कम से कम दो वर्ष की जेल और अधिकारी दोषी हो तो कम से कम छः माह की जेल की सजा की सिफारिश की गई थी। इस तरह सरकारी लोकपाल बिल तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले को सुरक्षा देने के बदले उसको दबाता था। इसके अलावा लोकपाल के तहत मात्र ए वर्ग के अधिकारियों को ही शामिल किया गया था। जबकि हमारे देश में कुल 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों में से ए वर्ग के मात्र 65,000 अधिकारी ही हैं। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधान मंत्री, न्यायपालिका एवं निचले वर्ग के कर्मचारियों को अलग रखा गया था। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि सरकारी मसौदे के अनुसार यदि लोकपाल की नियुक्ति एवं उसे हटाने का अधिकार सरकार के पास ही रहना हो तो लोकपाल हमेशा दंत विहीन शेर जैसा बना रहेगा।

लोक सभा में पास हुए लोकपाल बिल के मुख्य अंश

- लोकपाल को संवैधानिक दर्जा नहीं।
- लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति एक ही अधिनियम के तहत।
- लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति में अजा, अजजा, ओ.बी.सी. तथा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण। शोध समीति में भी आरक्षण।
- प्रधान मंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ।
- सी.बी.आइ. लोकपाल के तहत नहीं। परंतु लोकपाल द्वारा सी.बी.आइ. को दिए गए भ्रष्टाचार के केस में लोकपाल सी.बी.आइ. पर निगरानी रखेगा।
- ए व बी श्रेणी के कर्मचारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में।
- लोकपाल की सिफारिश पर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के केस के लिए विशेष अदालत का प्रावधान।
- निजी व्यापार उद्योग घराने, गैर-सरकारी संस्थाएं (जिन्हें 10 लाख रुपए से अधिक घरेलू या विदेशी सहायत मिलती हो) प्रचार माध्यम लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में।
- सिटीजन चार्टर की मांग के बारे में अलग से शिकायत निवारण बिल।

'फाइट अगेन्स्ट करप्शन' आंदोलन ने सरकारी मसौदे का बहिष्कार किया और जन लोकपाल नाम से अपना मसौदा पेश किया। परंतु जन लोकपाल मसौदा के केन्द्रीकृत अधिकारों की दलील को समाज के कई वर्गों ने अस्वीकार कर दिया है। उनका मानना है कि समानांतर सरकार जैसी यह केन्द्रीकृत सत्ता तो सी.वी.सी. और सी.बी.आइ. आदि को भी सीमिति दायरे में रख देगी तथा इस सत्ता से पुलिस, जांच तथा न्याय प्रक्रिया, दंडात्मक सिफारिशें निरर्थक हो जाएंगी और उसका दुरुपयोग एवं बिना वजह उपयोग भी हो सकता है। उनके अनुसार जन लोकपाल तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण जैसे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत का ही हनन करता है। इस समय एन.सी.पी.आर.आइ. (राष्ट्रीय सूचना अधिकार अभियान) नाम से प्रचलित पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए सक्रिय नागरिकों एवं संस्थाओं के नेटवर्क जन लोकपाल में कई सुधार पेश किए हैं।

इसके अनुसारः

- जन लोकपाल प्रधान मंत्री, मंत्रियों, तमाम निर्वाचित प्रतिनिधियों, तमाम सरकारी कर्मचारियों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लोकपाल के तहत रखना चाहते हैं, जबकि एन.सी.पी.आर.आइ. प्रधान मंत्री (कुछ सुरक्षात्मक उपायों के साथ), मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, तमाम वर्ग ए के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के तहत और वर्ग ए के अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को सी.वी.सी. अधिनियम को और मजबूत करके उसके तहत लाना चाहते हैं। इसी तरह न्यायिक जवाबदेही बिल को मजबूत करके उसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लाना चाहते हैं, जबकि प्रधान मंत्री के विरुद्ध कोई भी जांच तब तक नहीं की जा सकेगी जब तक लोकपाल की समग्र पीठ भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में अनुरोध नहीं करेगी। यदि करेगी तो सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रचित खंड पीठ में उस शिकायत की समीक्षा करने के बाद उचित लगने पर जांच के लिए अनुमति दी जाएगी। यदि शिकायत में प्रधान मंत्री सीधे शामिल नहीं लगें तो उस पर ध्यान नहीं देने की सिफारिश भी हो सकती है। हालांकि देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों में प्रधान मंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश को गुप्त सूचना प्रदान करेंगे तथा ऐसे मामलों में उस सूचना को

प्रकाशित करने के बारे भारत के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय अंतिम रहेगा।

- जन लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोक शिकायत को भी शामिल किया गया है, जबकि एन.सी.पी.आर.आइ. शिकायत निवारण आयोग जैसी अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका हल करना चाहते हैं।
- जन लोकपाल बिल में सार्वजनिक सत्ताधीशों की कार्यप्रणाली में बदलाव, शिकायत के संदर्भ में जांच, तथा शिकायतकर्ता की सुरक्षा के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले की सुरक्षा की सिफारिश की गई है जबकि एन.सी.पी.आर.आइ. शिकायतकर्ता की सुरक्षा की बात लोकपाल में नहीं करती, वह तो शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एन्ड पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर बिल-2010 नामक अलग बिल लाना चाहते हैं।
- जन लोकपाल बिल ऐसी शिकायत को जिसमें सरकारी कर्मचारी अथवा निर्वाचित प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप हो तथा वह भारतीय दंड संहिता (आइ.पी.सी.) अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 (पी.सी.ए. 1988) के तहत सजा का पात्र हो तो उसकी व्याख्या शिकायत के रूप में करे। जबकि एन.सी.पी.आर.आइ. सूचित करता है कि आइ.पी.सी. व पी.सी.ए. 1988 ही नहीं प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग एक्ट तथा कोई भी अन्य कानून या कानूनी सिफारिशें जो हाल में मौजूद हों या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की जाएं उनके तहत लागू होने वाली तमाम शिकायतों को लोकपाल बिल में शामिल किया जाए।
- जन लोकपाल बिल में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कैग) तथा लोकपाल के पूर्व अध्यक्षों की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी तथा समाज के प्रतिनिधियों के साथ 10 सदस्यों की शोध समिति द्वारा तैयार सूची में से उसके सदस्यों का चयना किया जायेगा। जबकि एन.सी.पी.आर.आइ. के सुझाव में प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता एवं सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की समिति द्वारा लोकपाल के लिए तीन या पांच पदों की पैनल में से चयन किया जाए तथा शेष सदस्यों के चयन के लिए नागरिक समाज के पांच प्रतिनिधियों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, सी.ई.सी., सी.आइ.सी. तथा लोकपाल के सदस्यों तथा अध्यक्ष की दस सदस्यों वाली समिति द्वारा चयन किया जाना चाहिए।
- जन लोकपाल तथा एन.सी.पी.आर.आइ. दोनों ने जांच व सजा सुनाने के लिए दो अलग-अलग शाखा रखने की सिफारिश की है।
- लोकपाल किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत के निवारण के लिए जन लोकपाल में पहले सूचित स्वतंत्र सत्ता के द्वारा दो माह के अंदर शिकायत की सुनवाई का निर्णय सुझाया है जबकि एन.सी.पी.आर.आइ. के सुझाव के अनुसार ऐसी किसी शिकायत के संदर्भ में स्वतंत्र समिति के द्वारा इसके लाए सूचित ऑम्बड्समैन के द्वारा जांच की जाएगी।

28 दिसम्बर, 2011 को यू.पी.ए. द्वारा लोक सभा में लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल-2011 पेश किया गया। जो कुछ संशोधनों के साथ पास कर दिया गया। इस बिल की राज्य सभा में चर्चा की गई परंतु समय के अभाव में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, अगले सत्र में यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

टीम अन्ना द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। उनका विरोध मुख्य रूप से चार बातों (लोकपाल को सुओ-मोटो जांच करने का अधिकार, लोकपाल एवं लोकायुक्त के पास स्वतंत्र जांच करने की व्यवस्था, सरकारी क्षेत्र में सी एवं डी वर्ग के कर्मचारियों को शामिल करने एवं लोकपाल के नियुक्त करने की समिति की रचना) के बारे में है। इसके साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये अन्य तीन महत्वपूर्ण बिल लोक सभा में पेश किए गए हैं।

(1) व्हिसिल ब्लोअर विधेयक 2011 क इस विधेयक के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने वाले तथा उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षा देने की सिफारिश की गई है।

(2) न्यायपालिका उत्तरदायत्व विधेयक 2011 क इस विधेयक के अंतर्गत न्यायाधीशों के व्यवहार एवं गड़बड़ियों की जांच करने के लिए विश्वसनीय व्यवस्था बनाई गई है।

शेष पृष्ठ 28 पर

JÉt ºÉ®IÉÉ: BEò ZÉ±ÉEò

‘उन्नति’ की **सुश्री सेजल दवे** एवं सेप्ट की विद्यार्थी **सुश्री नम्रता गिनोया** द्वारा लिखे इस लेख में हाल ही में संसद में पास किए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में भारत में खाद्य सुरक्षा संवैधानिक सिफारिशों तथा व्यवस्था लक्ष्यी प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई है।

व्यक्तिगत, पारिवारिक, राष्ट्रीय, प्रांतीय या वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा तभी मिल सकती है जब दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को हमेशा के लिए सक्रिय एवं तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए अपना पारंपरिक पसंदगी के अनुसार सलामत, पोषक एवं पर्याप्त अन्न प्राप्त करने के लिए शारीरिक, आर्थिक पहुंच या क्षमता का विकास किया जाए।

वर्ष 1996 में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की उपरोक्त परिभाषा का उल्लेख किया गया। परंतु भारत के लिये खाद्य सुरक्षा का मुद्दा कोई नया नहीं है। भारतीय संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो खाद्य सुरक्षा को प्रकट करते हैं। वास्तव में भारत में गरीबों की रक्षा के लिये आर्थिक नीतियों को अमल करने के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण साधन रहा है। यदि इस व्यवस्था में नीति तथा उसके अमल तथा उद्देश्य एवं उसे हासिल करने के लिये अपेक्षित कार्यों के बीच हमेशा खामियां रही हैं। सरकार हमेशा गरीबों के हित के लिए कार्य नहीं करती, यह विशेष रूप से भोजन का अधिकार कार्यक्रम उजागर करता है।

आज से लगभग चालीस वर्ष पहले 1970 में कहा गया था, वास्तव में खाद्य सुरक्षा जैसी कोई परिस्थिति कभी पैदा ही नहीं होती। फिर चाहे कितना भी अनाज पैदा क्यों न हो। जब तक खाद्यान्न पैदा करने वाले संसाधनों का नियंत्रण एक छोटे समुदाय के पास होता है तब तक वह उसका उपयोग अपने फायदे के लिए ही करता है। इस प्रकार की व्यवस्था में जिसके पास धन है उस ही सेवा प्रदान करने में लाभ होता है, जो भूखा है उस तक तो अनाज पहुंचता ही नहीं है। यह कड़वा सत्य 21वीं सदी में भी वैसा ही है। ऐसे तो हमारे देश के नागरिकों को भुखमरी से बचाने और भोजन का अधिकार प्राप्त कराने के लिए अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग संस्थाओं द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। जैसे वर्ष 2001 में पी.यू.सी.एल. द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में खाद्य अधिकार के कानून के संदर्भ में एक समादेश याचिक पेश की गई थी। जनहित की इस याचिका के कारण न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि जब देश में अनाज का विशाल उत्पादन हुआ तब भी अकाल पीड़ित क्षेत्रों में भुखमरी ने विकराल रूप धारण किया हुआ था। प्राथमिक रूप से अपर्याप्त अकाल राहतों के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम एवं 6 राज्य सरकारों के विरुद्ध यह केस किया गया। परंतु इसके बाद तो इस केस में व्यापक स्तर पर फैले विकराल भुखमरी एवं कुपोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया और लगभग तमाम राज्य सरकारों को शामिल किया गया।

भोजन के अधिकार के बारे में इस केस की मुख्य दलील यह थी कि मनुष्य का जीवन बचाए रखने के लिये खाना सबसे प्रमुख

मानव विकास सूचकांक में गुजरात

- देश में मानव विकास के सूचकांक में 23 राज्यों में गुजरात का नंबर 14
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 08
- शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 14
- पांच वर्ष से कम आयु वाले 69.7 प्रतिशत बालक ऐनिमिया के शिकार
- कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत 44.5
- देश में भुखमरी (रोकने) सूचकांक में 17 राज्यों में गुजरात का नंबर 13 (2010)

खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2011: एक झलक	
विस्तार (किसे मिलेगा)	• ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत लोग जिसमें कम से कम 46 प्रतिशत आबादी प्राथमिकता के आधार पर तय किए गए समूह में से रहेगी। • शहरी आबादी के 50 प्रतिशत लोग जिसमें कम से कम 28 प्रतिशत आबादी प्राथमिकता के आधार पर तय किए गए समूह में से रहेगी।
मिलने वाली सहायता (क्या व कितनी मिलेगी)	• प्राथमिकता वाले समूह के व्यक्ति को प्रति माह प्रति व्यक्ति को तीन, दो व एक रु. पर क्रमशः चावल, गेंहू व अन्य मिलकर सात किलो अनाज मिलेगा। • अन्य सामान्य नागरिक को उच्चतम समर्थन मूल्य से आधे भाव पर प्रति माह प्रति व्यक्ति तीन किलो अनाज मिलेगा।
अन्य सहायता (अन्य, क्या व कितनी मिलेगी)	• गर्भवती और धात्री महिलाओं को छः माह तक प्रति माह 1000 रु. मातृत्व सहायता। • निःसहाय , बेघर एवं विपत्ति से असरग्रस्त को निशुल्क अथवा भोजन। • 14 वर्ष तक के बालकों पोषक आहार।
कितना अनाज चाहिए	• 61 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता।

अनिवार्य जरूरत है। भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मूलभूत अधिकार की बारीकी और संवेदनशीलता को साबित करता है। इतना ही नहीं, भोजन का अधिकार सामाजिक लिंग के संदर्भ में समानता के साथ जुड़ा हुआ है एवं इसी से उसे सीडो (महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव का उन्मूलन का समझौता) संकल्प में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद-12 के तीसरे भाग में बहुत स्पष्ट किया गया है कि सत्ता द्वारा गर्भावस्था तथा धात्री महिलाओं को पर्याप्त पोषण देने का ध्यान रखना चाहिए।

पी.यू.सी.एल. ने इस याचिका में अपनी दलील में बताया कि संविधान ने देश के हरेक नागरिक को यह अधिकार दिया है और सरकारी गोदामों में खाद्यान्न का विपुल मात्रा में संग्रह होने के बावजूद सामान्य नागरिक एवं उसमें भी स्त्रियों एवं बालकों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। विषय की गंभीरता को देखते हुए 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार आयोजित अनाज संबंधित आठ योजनाओं को बारे में आदेश जारी किया था। जिसके अनुसार वास्तव में तो उन योजनाओं के लाभों को कानूनी हकों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इसके अलावा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो आज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में लागू है उसे भी योजनाओं संबंधित आदेशों में शामिल कर लिया है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

इस बारे में देखें तो हमारे देश में जारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का जड़ें ठेठ अंग्रेजी शासन काल के दौरान आए अकाल एवं अनाज की कमी में रही हैं। जिसमें सबसे पहले अकाल 1770 में बंगाल पड़ा था जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे जिसके बाद 1860 से 1910 के बीच करीब बीस बड़े अकाल पड़े और अनाज की कमी देखी गई। सामाजिक सुरक्ष ढांचे के रूप में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सराहनीय है परंतु लेकिन अनाज के भंडार रखने से उसकी उपलब्धि तय नहीं की जा सकती। उत्पादन अपने आप उपयोग तय नहीं करता। अर्थ व्यवस्था या बाजार में अनाज होने से व्यक्ति को उसके उपयोग से लाभान्वित नहीं करती। इतना ही नहीं यदि उचित वितरण व्यवस्था मौजूद नहीं हो तो क्रय शक्ति भी खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। लोग शायद ही अनाज की कमी के कारण भुखमरी के शिकार बनते हैं।

वर्ष 2008 में, भावों में हुई बढ़ोतरी से पहले के आंकड़ों के अनुसार एक अरब लोग तीव्र भुखमरी और लगभग दो अरब लोग कुपोषण और इस तरह ऐसा अनुमान है कि कुल मिलाकर करीब तीन अरब लोग खाद्य असुरक्षा के शिकार बने हैं। यह विश्व की लगभग आधी आबादी है। श्री हर्ष मंदर के लेख में बताया गया है कि उसमें वृद्ध, अकेली स्त्रियां तथा विकलांग सबसे दयनीय स्थिति में होते हैं जो अधिकांशतः काली चाय या पकाए अनाज के बचे

पानी के सहारे जीवन चलाते देखे जाते हैं। (स्रोतः ई.पी.डब्ल्यू.-2008)

वर्ष 1960 में शुरू की गई हरित क्रांति, 1960 में शुरू की गई श्वेत क्रांति, 1980 के अंत में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप पिछले डेढ़ दशक में भारत में अकल्पनीय आर्थिक विकास किया है। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यकक्रम (यू.एन.डी.पी.) की मानव विकास रिपोर्ट-2011 में कुल 177 देशों में भारत 134 नबंर पर आया है। यह मानव विकास आंकड़ा, व्यक्ति की आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का सम्मिलित सूचकांक माना जाता है।

भुखमरी के उदाहरण

ओडिशा की एक वृद्ध महिला शंकरी कूणा एवं छोटे बांस इकट्ठा करके लाई एवं उन्हें पीस करके अपने परिवार को खिलाती है। उसका अन्य सामान्य भोजन कडि नामक जहरी वनस्पति है। जिसके बारीक टुकड़े करके, एक टोकरी में भरकर नदी के बहाव में रख देती है। इससे पानी के बहाव में जहर की मात्रा धुल जाती है और परिवार उसका उपयोग भोजन के रूप में कर लेते हैं।

ओडिशा का एक विधुर आरखित दिन में एक बार ही भात बनाता है एवं वह भी मनोबल या शारीरिक शक्ति बची हो तब नहीं तो काली चाय पीकर रात निकाल देता है एवं एक दिन चावल और दूसरे दिन उसे पकाए हुए पानी से काम चलाता है। (स्रोतः ई.पी.डब्ल्यू.-2008)

भाव वृद्धि की तीव्रता से पहले कुपोषण के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भोग बनकर औसतन 18,000 बालक रोज मौत की भेंट चढ़ते थे। (स्रोतः ऐसो. प्रेस 18.2.2007)

स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी तीन वर्ष से कम आयु वाले भारत के कुल बालकों में से आधे बालक कुपोषण के शिकार हैं। मानव विकास अंक-2011 के अनुसार विश्व में कुपोषित बालकों की सबसे अधिक मात्रा वाला पहले नबंर का देश भारत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार 5 माह से 35 माह की आयु वाले 79 प्रतिशत बालक, 15 से 49 आयु समूह के 56 प्रतिशत विवाहित महिलाएं, 58 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एवं 24 प्रतिशत पुरुष ऐनिमिया के शिकार बताए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े एवं मुस्लिम वर्ग में शारीरिक वजन के आंकड़े में कुपोषित की व्याख्या में आने वाली 18.5 किलो से कम वजन वाली महिलाओं की मात्रा ज्यादा देखी गई। कुपोषित जनता का प्रतिशत, अपेक्षित से कम वजन वाले बालकों का प्रतिशत एवं पांच वर्ष से कम आयु वाले बालकों की मृत्यु दर तीन सूचकांक को गिनकर बनाने वाला भुखमरी का आंकड़ा 1990 में जो 31.7 प्रतिशत था वह 2010 में 24.1 प्रतिशत नोट किया गया। भारत में इस अंक से यह साबित होता है कि भुखमरी की दर काफी धीमी गति से घट रही है।

गरीबी एवं भुखमरी समाज में व्याप्त सबसे गंभीर समस्या है। पांच वर्ष से कम आयु वाले 42 प्रतिशत भारतीय बालकों का वजन अपेक्षित से कम है व कमजोर होते हैं। पिछले 50 वर्ष से हमारे देश में लागू अनाज वितरण व्यवस्था प्रशंसनीय होने के बावजूद भ्रष्टाचार एवं अकार्यक्षम होने के कारण वह प्रभावी नहीं रही। ऐसा कहा जाता है कि करीब 12 अरब के अनुमानित बजट में से 70 प्रतिशत धन प्रशासन करने वालों एवं वाहन खर्चों अथवा इस या उस गलत तरीके से चला जाता है। इस तरह चमकदार आर्थिक विकास एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की मौजूदगी में भी सामान्य नागरिकग दनि में दो बार भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अच्छे उद्देश्य राजनैतिक एवं आर्थिक कारणों तथा कार्यकर्ताओं के कारण अप्रभावी हो चुकी है। यह व्यवस्था पहुंच के बाहर होने से आजादी के बाद छः-छः दशकों के बाद भी सामान्य नागरिक अपने सम्मानजनक जीवन के अधिकार से वंचित रहे हैं।

गुजरात में अन्न अधिकार के बारे में जाग्रति अभियान का प्रभाव एवं परिणाम

अहमदाबाद स्थित बिहेवियरल साइंस सेन्टर द्वारा हाल ही में गुजरात राज्य में 'अन्न के अधिकार एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था' के संदर्भ में एक जाग्रति अभियान के बाद एक अध्ययन हाथ में लिया गया था। प्रस्तुत लेख **श्री रॉबर्ट अरोकयासामी** (एस.जे.), **सुश्री प्रियंका क्रिश्चियन** तथा **श्री जिमी डाभी** (एस.जे.) द्वारा तैयार किये गये अंतरिम विवरण में से तैयार किया गया है। यह अभियान के अंत में 900 गांवों में आ रहे बदलाव को दर्शाता है।

देश में गुजरात राज्य एक विकसित राज्य के रूप में अग्रसर है। अन्य राज्यों की तुलना में ढांचागत सुविधाओं को देखते हुए ऐसा लगता जरूर है। परंतु वास्तव में राज्य के वंचित प्रत्येक नागरिक तक संविधान द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार की पहुंच ही उस राज्य के विकास की सही स्थति दर्शाती है।

2011 में आयोजित जनगणना के बाद राज्य के कई सांख्यिकी विवरणों को देखें तो गुजरात की जनसंख्या करीब 6.03 करोड़ है। इसमें अनुसूचित जाति 7.09 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति 14.76 प्रतिशत जनसंख्या का अनुमान है। अनुसूचित जनजाति की 60.69 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और शेष 39.31 आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। 6 वर्ष के बालकों को छोड़कर इस जाति की बस्तियों में अनुसूचित जाति का साक्षरता का प्रतिशत 70.50 है और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में साक्षरता का प्रतिशत 47.74 है। साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत अहमदाबाद जिले में 79.50 और सबसे कम प्रतिशत दाहोद जिले में 45.15 नोट किया गया है। पिछले दशक में गुजरात में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मात्रा उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। 1991 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 934 थी जो घटकर 2011 में 920 रह गई। डांग व अमरेली जिले में स्त्रियों की सबसे अधिक संख्या 987 तथा सूरत में सबसे कम 835 है।

राज्य की आबादी के बारे में इन विवरणों के परिप्रेक्ष्य में अहमदाबाद स्थित बिहेवियरल साइंस सेन्टर (बी.एस.सी.) द्वारा 'अन्न अधिकार' के मुद्दे पर व्यापक जाग्रति अभियान एवं उसकी असरकारकता के बारे में अध्ययन हाथ में लिया है।

गुजरात में सामाजिक कार्यों के भाग के रूप में जेसूट इन सोशियल एक्शन समूह के केन्द्रों ने सामूहिक प्रयास के रूप में अन्न अधिकार जाग्रति अभियान 2010 में शुरू किया था जिसमें सेन्ट जेवियर्स सोशियल सर्विस सोसायटी, नवसर्जन, ए.के. वाय. भिलोडा, सोनगढ़, राजपीपला एस.एस.एम., बी.एस.सी., शक्ति एवं आशादीप संस्थाओं जैसी आठ स्वैच्छिक संस्थाएं शामिल हुई थी। इस अध्ययन के भाग के रूप में जेसा की अनुसंधान टीमों ने गुजरात के अन्न, नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहकों के बारे में विभाग से मिली सूचना के अनुसार राज्य के 26 जिलों का स्थानीय प्रशासन 13693 ग्राम पंचायतों तथा राज्य की 26 नगर पालिकाओं द्वारा संचालित है। राज्य की करीब 6.03 करोड़ आबादी में 112 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है। इसमें से बी.पी.एल. एवं अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों की संख्या 32 लाख है। इन कार्ड धारकों को 16,557 राहत दर की दुकानों से अनाज एवं अन्य जीवन जरूरी चीजों का वितरण किया जाता है।

राज्य के 17 जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम हैं तथा नागरिक आपूर्ति निगम के कुल 192 गोदाम मिलकर राज्य के सभी जिले अन्न के संग्रह की सुविधाओं से युक्त हैं। आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो राज्य में अन्न आपूर्ति का 16 लाख मीट्रिक टन का टर्नओवर है तथा उसके लिए राज्य 257 करोड़ रुपए की सबसिडी का बोझ वहन करता है। अन्न आपूर्ति एवं उसके वितरण से संबंधित इन ढांचागत, वित्तीय एवं प्रशासनिक सुविधाओं के बावजूद वास्तव में जनता को कितना लाभ मिलता है उससे परिस्थिति का वास्तविक अंदाज लगाया गया है। इस समग्र कार्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बी.एस.सी. की अनुसंधान

टीम ने अन्न अधिकार जाग्रति अभियान से पहले नागरिक आपूर्ति वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता के बारे में एक सर्वेक्षण हाथ में लिया गया तथा उसके बाद सहभागी संस्थाएं साथ मिलकर जाग्रति अभियान चलाया और उसके प्रभाव का अधययन हाथ में लिया जो करीब दो वर्ष तक चलेगा।

यह लेख जेसा द्वारा हाथ में लिये गये अध्ययन के बीच में ही विवरण में से तैयार किया गया है। अल्प समय में प्राप्त होने लगी सूचना में अभी काफी सूचना शामिल की जाएगी जो अध्ययन के वास्तविक विस्तार एवं असरकारकता को गहराई से समझने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

अभियान एवं अध्ययन का उद्देश्य

अन्न सुरक्षा अधिकार एवं अन्न प्राप्ति के साधनों के बारे में लोगों की विडंबनाओं का हल ढूंढने के लिए लंबे विचार-विमर्श के बाद गहराई से समझने एवं अच्छे उद्देश्य के साथ इस अभियान को हाथ में लिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सम्मानपूर्वक जीने के अभिन्न अंग के रूप में जरूरी अन्न अधिकार तथा काम के अधिकार के बारे में सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी था कि सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए लागू विविध सहायता योजनाओं के बारे में जाग्रति फैलाना है।

अभियान में शामिल सरकारी सहायता योजनाएं

इस अभियान में सरकार द्वारा अन्न सुरक्षा को मजबूत करने वाली नौ योजनाओं के बारे में जाग्रति फैलाई गईः

1. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - पी.डी.एस.
2. अंत्योदय अन्न योजना ए.ए.वाइ.
3. मध्याह्न भोजन योजना के रूप में प्रचलित 'प्राथमिक शिक्षण को पोषण सहायता' राष्ट्रीय कार्यक्रम
4. समन्वित बाल विकास योजना - आइ.सी.डी.एस.
5. अन्नपूर्णा योजना
6. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना
7. राष्ट्रीय प्रसूता सहायता योजना
8. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
9. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

अभियान का विस्तार

अन्न अधिकार के बारे में यह जाग्रति अभियान एवं उसके प्रभाव के अध्ययन के लिए राज्य के 900 गांवों एवं दो शहरी केन्द्रों को शामिल किया गया है। वास्तव में जाग्रति अभियान से पहले हाथ में लिए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह तय किया गया था कि इस अभियान में 1,40,482 घरों के कुछ 6,59,335 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। उसके अनुसार राज्य के 13 जिलों के 32 तालुकों एवं 420 पंचायतों को अन्न अधिकार जाग्रति अभियान का लाभ मिला था।

अभियान के प्रभाव एवं परिस्थिति में बदलाव के लिए अध्ययन जाग्रति अभियान के बाद जेसा की टीमों ने लोगों तथा व्यवस्था दोनों स्तर पर अभियान का प्रभाव देखने के लिए एक अध्ययन हाथ में लिया था। इस अध्ययन के लिए एक प्रश्नावली द्वारा सर्वे

अध्ययन में शामिल तालूकों एवं तालूका अनुसार परिवारों के आंकड़े

तालूका	परिवारों की संख्या	तालूका	परिवारों की संख्या
आणंद	4	खेडब्रह्मा	60
अहमदाबाद	100	मेघरज	50
चोरयासी	52	रापर	60
ठासरा	36	थराद	60
बोरसद	52	वाव	60
बालासिनोर	24	झघडिया	24
उमरपाडा	24	वालिया	14
मांगरोल	21	देडियापाडा	36
मांडवी	24	सागबारा	14
व्यारा	26	तिलकवाडा	10
सोनगढ़	29	नांदोद	20
उच्छकल	24	मालपुर	40
निजार	24	मोडासा	56
भचाऊ	20	पेटलाद	4
मालिया	20	खंभात	12
अमीरगढ़	20	अंकलाव	12
दांता	20		

तथा व्यक्तिगत मुलाकात के द्वारा केस अध्ययन पद्धति अपनाई गई थी। जिसके द्वारा सरकार की र्विविध योजनाओं के बारे में लोगों की बढ़ी हुई जागरूकता, मिलने वाली सहायता को प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई सक्रियता, लोगों को सहायता प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं के स्तर आए परिवर्तनों के बारे में सूचना इकट्ठा की गई थी। इस अभियान के कारण नागरिक आपूर्ति वितरण व्यवस्था के संदर्भ में जाग्रति अभियान के पहले की परिस्थिति तथा अभियान के बाद उसके उपयोग के बारे में लोगों की सक्रियता के बारे में बदलाव का भी पता चला।

अंतरिम अध्ययन के निष्कर्ष

जाग्रति अभियान के अंत में जेसा केन्द्रों की पहुंच एवं संपर्कों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रभाव के बारे में एक अध्ययन का क्षेत्र निश्चित किया गया जिसमें से हाल में जेसा केन्द्रों में से कुल 17 केस अध्ययन मिले हैं, तथा 1891 प्रश्नावलियों के द्वारा सूचना इकट्ठा की गई है।

एकत्रित सूचना से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार केस अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जाग्रति अभियान के बाद लोगों में अपने अधिकारों के प्रति और प्राप्त होने लायक सहायता के प्रति जाग्रति में वृद्धि हुई है। लोगों को यह अहसास भी होने लगा है कि यह सहायता, सरकार की तरफ से दिया जाने वाला दान-भिक्षा नहीं है बल्कि उनके सम्मानजनक रूप से जीने के हक के तहत मिलने वाले लाभ हैं। इसके अलावा इस अभियान ने यह साबित किया है कि सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में जाग्रति फैलाने के साथ यदि सामूहिक प्रयास किए जाएं तो वास्तविक स्तर पर बदलाव संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए कच्छ के रापर तालूका के एक गांव की आंगनबाड़ी में बासी आटा दिया जाता था, वहां अभियान के बाद अनाज की गुणवत्ता में बदलाव आया। थराद के उदेरणा गांव में राहत दर की दूकान में होने वाली गड़बड़ सामने आई क्योंकि कार्ड धारक को केरोसीन दिया ही नहीं जाता था। इस बारे में हाईकोर्ट में बताने के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस दिया और अब वहां केरोसीन की पूरी मात्रा रखी जाती है। इसके अलावा नरेगा के तहत रोजगार प्राप्ति से वंचित लोगों को काम मिलना, आंगनबाड़ी में मध्याह्न भोजन की शुरूआत, माता को पोषक आहार के लिए 50 रुपए की नगद सहायता की प्राप्ति के मामले, राशन कार्ड धारक से गैरकानूनी रूप से पांच रुपए की फीस की उगाही आदि जैसे अनेक मामले सामने आए जिसमें लोगों को अपने हकों की मांग करने वाले बदलाव देखने को मिले। ये अवलोकन साबित करते हैं कि जिन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है उन लोगों को सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्वयं सेवकों द्वारा विश्वास में लिया जाए तो बुनियादी स्तर पर तथा कुछ हद तक प्रशासनिक स्तर पर भी प्रभावी परिवर्तन लाया जा सकता है। केस अध्ययन के अलावा, 33 ब्लॉक में सात केन्द्रों द्वारा किए गए सेम्पल सर्वे की प्रश्नावली के द्वारा मिली जानकारी के निष्कर्षों बीपीएल एवं बीपीएल कार्ड धारकों को मिलने वाली सहायता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की परिस्थिति के बारे में जेसा जाग्रति का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

सात जेसा केन्द्रों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 539 बीपीएल कार्ड धारकों, 327 एपीएल कार्ड धारकों तथा 162 अंत्योदय कार्ड धारकों को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों को अंत्योदय योजना के कार्ड देने के लिए केन्द्र सरकार को आदेश जारी किया है तथा इन कार्ड धारक परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के द्वारा प्रतिमाह 25 किलो अनाज दिया जाना है। इस अध्ययन में तीनों प्रकार के कार्ड धारकों को अनाज एवं अन्य जीवन जरूरी चीजों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अनुसार केरोसीन के वितरण में अन्न अधिकार जाग्रति अभियान की सीधी असर आशादीप, बीएससी, नवसर्जन तथा सेन्ट जेवियर्स सर्विस सोसायटी के केन्द्रों पर देखने को मिली थी। इन केन्द्रों पर अभियान से पहले और बाद में केरोसीन के वितरण में अधिकतम 24 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई। गेंहू के वितरण में सात में से दो जेसा केन्द्रों पर अभियान का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया क्योंकि एक केन्द्र पर तो अभियान के बाद वितरण में 55 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई। इस तरह आटे, चावल तथा अन्य चीजों के वितरण में भी सुधार देखा गया। अभियान से पहले सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के केन्द्रों पर अनाज सहित अन्य जीवन जरूरी चीजों की मात्रा तथा अभियान के बाद की मात्रा में तथा उसके वितरण में काफी सकारात्मक

भारत में अन्न अधिकार के बारे में विविध योजनाएं

केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अन्न प्राप्ति नौ योजनाओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2011 में एक उल्लेखनीय दिशानिर्देश प्रदान किया गया था। इस निर्देश के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इन सभी योजनाओं को सत्तवार नियमों के अनुसार लागू करना जरूरी है। इन निर्देशों के कारण इन सभी योजनाओं से मिलने वाले लाभ को कानूनी बल मिला है।

1. **नागरिक वितरण व्यवस्थाः**
   लक्ष्य समूहः प्राथमिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग।
   लाभार्थी की पहचानः हर पांच वार्ष के बाद किए जाने वाले सर्वेक्षण के द्वारा।
   केन्द्रीय दरः केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित दर, वित्तीय व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा।
   ग्राहक के लिए दरः प्रत्येक राज्य में अलग/राज्यवार अलग-अलग।
   मिलने योग्य मात्राः राज्यवार अलग-अलग लेकिन मोटे तौर पर हर परिवार को 35 किलो प्रति माह।
2. **अंत्योदय अन्न योजनाः**
   लक्ष्य समूहः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में जीवन यापन करनेवाले अति गरीब लोग जिनको विशेष पीला कार्ड दिया गया है।
   लाभार्थी की पहचानः प्रत्येक राज्य में से गरीब परिवारों में से ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा के द्वारा और शहरी स्तर पर स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के द्वारा अति गरीब लोगों की पहचान की जाती है।
   दो रुपए किलो गेंहू एवं तीन रुपए किलो चावल। इसके लिए वाहन तथा अन्य एजेन्सी के खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
   प्राप्य अनाजः हर परिवार को 25 किलो प्रतिमाह।
   वितरण व्यवस्थाः नागरिक वितरण व्यवस्था के द्वारा।
3. **मध्याह्न भोजन योजना के रूप में प्रचलित प्राथमिक शिक्षण को पोषण सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम**
   लक्ष्य समूहः सभी सरकारी एवं लाभार्थी प्राथमिक शालाओं के सभी विद्यार्थी।
   लाभार्थी की पहचानः यह योजना सार्वजनिक है इसलिए सभी बालक इस योजना के तहत पका हुआ भोजन प्राप्त करने के पात्र हैं।
   मिलने योग्य लाभः वर्ष में लगभग 200 दिन के अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस को ताजा पका हुआ भोजन।
4. **समन्वित बाल विकास योजनाः**
   लक्ष्य समूहः आंगनबाड़ी के बालक, किशोरियां, सगर्भा, धात्री महिलाओं ने वर्ष में 300 दिन तक लाभ मिल सकता है।

परिवर्तन देखा गया। खासतौर पर केरोसीन की प्राप्ति के बारे में लोगों की जाग्रति के बारे में आठ दुकानों में उपलब्ध मात्रा लोगों द्वारा ली गई मात्रा में समानता जैसे उल्लेखनीय परिवर्तन जेसा केन्द्रों पर देखा गया। इसके अलावा अन्न अधिकार से संलग्न कई अन्य सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में इस अध्ययन के निष्कर्ष भी प्रोत्साहक रहे हैं। उदाहरण के लिए जननी सुरक्षा योजना में शामिल राष्ट्रीय प्रसूता सहायता योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सहायता की जानकारी स्वागत योग्य है। जेसा के सात केन्द्रों पर एकत्र सूचना के अनुसार 500 रु. से 10,000 रु. तक की नगद सहायता प्राप्त करने वाली कुल महिलाओं की संख्या 127 रही। इन्हें कुल 1,14,431 नगद सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना के लाभार्थियों की संख्या 57 रही जिन्हें कुल 23,900 रुपए की नगद सहायता प्रदान की गई। समन्वित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी जाने वाले बालकों, सगर्भा एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरियों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सेवाओं व सहायता के संदर्भ में सात जेसा केन्द्रों पर लोगों में जाग्रति में वृद्धि के बारे में जानकारी मिली। मध्याह्न भोजन की सेवा के निष्कर्ष

लाभार्थी की पहचानः यह योजना सार्वजनिक है। इसमें उपरोक्त समूह में आने वाला कोई भी भी व्यक्ति इस योजना के तहत सेवा प्राप्त करने के पात्र हैं।

5. **अन्नपूर्णा योजनाः**

   लक्ष्य समूहः 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वे निराधार लोग, जिन्हें राज्य या केन्द्र की सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है जिनको विशेष नीला कार्ड दिया गया है।

   लाभार्थी की पहचानः ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा के द्वारा और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के द्वारा उनकी पहचान की जाती है।

   मिलने योग्य अनाजः 10 किलो अनाज प्रतिमाह प्रतिकार्ड।

6. **राष्ट्रीय प्रसूता सहायता योजनाः**

   लक्ष्य समूहः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के प्रथम दो जीवित बाल जन्म के दौरान मिलने योग्य।

   लाभार्थी की पहचानः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा पहचान।

   मिलने योग्य लाभः प्रत्येक प्रसूति के समय 500 रु. की नगद सहायता।

7. **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनाः**

   लक्ष्य समूहः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार जिसका कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा हो।

   लाभार्थी की पहचानः पंचायत की सहायता से पहचान।

   मिलने योग्य सहायताः करीब 1000 रु.

8. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियमः**

   लक्ष्य समूहः उपरोक्त अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वयस्क ग्रामीण को जो स्वैच्छिक रूप से मजदूरी के द्वारा रोजगार प्राप्त करने को तैयार हो उसे ग्रामीण स्तर पर सौ दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है।

   लाभार्थी की पहचानः 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो काम कर सकता हो व काम करना चाहता हो।
   पंचायत की सहायता से पहचान।

   मिलने योग्य दैनिक दरः प्रतिदिन 100 रु.

9. **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजनाः**

   लक्ष्य समूहः निराधार वृद्धजन, विधवा महिलाएं तथा विकलांग नागरिक।

   लाभार्थी की पहचानः पंचायती राज की संस्थाओं के द्वारा।

   मिलने योग्य सहायताः प्रत्येक राज्य में नगद की राशि अलग-अलग होते हुए भी न्यूनतम 400 रु. (200 रु. राज्य सरकार तथा 200 रु. केन्द्र सरकार से)।

नोटः भारतीय संविधान में व्याख्यायित आदिवासी जनजातियों की सूची में समाविष्ट जनजाति के प्रत्येक नागरिक को अंत्योदय कार्ड देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया गया है, ताकि वे इस योजना का लाभ आसानी से ले सकें।

वास्तव में प्रशंसनीय रहे। जैसे 25 केन्द्रों पर मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था में स्वच्छता, नियमितता, भेदभाव के, बैठक व्यवस्था में सुधार देखा गया तथा जाग्रति अभियान के बाद भोजन की गुणवत्ता में काफी बदलाव देखा गया।

अन्न के अधिकार के साथ काम का अधिकार भी एक अनिवार्य जरूरत है। जिसके द्वारा नागरिक के सम्मानजनक रूप से जीने की व्यवस्था तैयार हो सकती है। इसी से जेसा द्वारा आयोजित जाग्रति अभियान के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का अमल एवं लोगों की पहुंच को भी शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में इस बारे में जॉब कार्ड वाले परिवारों को प्रति परिवार जॉब कार्ड की संख्या जॉब कार्ड धारक को मिलने वाला रोजगार एवं वेतन के भुगतान की नियमितता आदि जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। सात जेसा केन्द्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रति परिवार दो जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या सबसे अधिक थी। जबकि रोजगार प्राप्ति के संदर्भ में कुल 1042 में से 738 व्यक्तियों के मौन को भी इस योजना के अमल में लापरवाही के रूप में लिया गया। इस अध्ययन से यह भी जानने को मिला कि इस तरह से लक्षित वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों के परिवारों में से मुख्य कमाने वाले व्यक्ति के न रहने से राष्ट्रीय

परिवार सहायता योजना के लाभों को प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या भी काफी सीमित है। इस अध्ययन के आखिरी निष्कर्षों के लिए जरूरी कई सूचनाओं का अभाव अथवा अधूरी सूचना तथा अन्य तमाम सीमाओं को एक तरफ रखकर समग्र अभियान की असरकारकता का प्राथमिक अवलोकन के रूप में देखें तो अन्न अधिकार के बारे में जाग्रति अभियान द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए:

- अन्न अधिकार जाग्रति अभियान द्वारा सात जेसा केन्द्रों ने अपने कार्य क्षेत्रों में लोगों को मिलने वाली सेवाओं एवं हकों के बारे में जाग्रति में निश्चित वृद्धि हुई है जबकि राजपीपला केन्द्र में विपरीत परिणाम मिला है।
- लोगों को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था एवं सरकारी योजना से मिलने वाली सेवाओं के बारे में जाग्रति, इन्हें प्राप्त करने में सक्रियता तथा उसमें होने वाली गड़बड़ियों के बारे में सतर्कता में भी वृद्धि हुई है।
- लोगों के अब पता है कि उनके अधिकारों का हनन किस तरह हो रहा है तथा कौन कर रहा है।
- ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्तरों पर गरीब लोगों को पता चल गया है कि सरकारी कार्यक्रम और योजना दान-भिक्षा नहीं हैं बल्कि यह उनके सम्मानजनक रूप से जीने के हक के तहत मिलने वाले लाभ हैं।
- इस अभियान ने यह साबित किया है कि स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर लोग अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते हैं और एक बार जाग्रति आने के बाद उनकी हिम्मत और सामूहिक शक्ति में वृद्धि होती है।
- जेसा के ये प्रयास भले ही सीमित हों लेकिन इन प्रयासों ने लोगों के आत्म विश्वास में वृद्धि करने में निश्चित रूप से योगदान दिया है।

अध्ययन के अंतरिम विवरण से यह निष्कर्ष सामने आता है कि यदि जाग्रति फैलाई जाए, लोगों को सतर्क बनाया जाए एवं स्वैच्छिक संस्थाओं तथा स्वयं सेवक सहयोग प्रदान करें तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की कार्यप्रणाली धीरे-धीरे कार्यक्षम एवं असरकारक बनाई जा सकती है।

पृष्ठ 19 का शेष

(3) सामान एवं सेवाओं की समय पर उपलब्धता एवं शिकायत निवारण नागरिक अधिकार विधेयक 2011 - इस विधेयक के अंतर्गत हरेक सरकारी विभाग द्वारा नागरिक चार्टर बनाया जाएगा और शिकायतों का निवारण समयबद्ध रूप से किया जाएगा और शिकायत निवारण नहीं किया जाए तो सजा देने की सिफारिश की गई है।

उपसंहार

भ्रष्टाचार को दूर करना कठिन है लेकिन जरूरी है। भ्रष्टाचार को लोकचर्चा बनाने के लिए अन्ना हजारे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मुद्दे पर मीडिया, राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों, उद्योग घरानों तथा आम जनता ने काफी रुचि दिखाई है। अन्ना हजारे के आंदोलन लोकतंर में नागरिक समाज की भूमिका तथा जन आंदोलन के रूप में एक विचार मंथन शुरू किया है। मीडिया में प्रसारित सूचना और चर्चाओं के कारण जनता में दो तरह के देखने में आए हैं। एक तो लोकपाल एवं संविधान की सत्ता के बारे में विरोधाभासी सूचना के कारण लोग स्पष्ट रूप से कोई निर्णय या अभिप्राय नहीं बना पा रहे हैं। तो दूसरी ओर, जन आंदोलन से लोगों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के मुद्दे पर मानों एक प्रकार का आशावाद का संचार हो रहा है। इन तमाम चर्चा-विचारणा एवं सूचना के प्रसार के द्वारा अभी भी जनता को संविधान की विलक्षणता के बारे में जानकारी मिली हो ऐसा लगता नहीं है। इसके अतिरिक्त आम जनता इस बारे में कोई स्पष्ट राय रख सके उसके लिए राजनैतिक दलों व नेताओं या जन प्रतिनिधियों में इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके अलावा, इन सबमें निजी क्षेत्र की गड़बड़ियों एवं भ्रष्टाचार को कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार के सही कारणों को दूर करने के लिए लंबे समय तक जनता के सहकार एवं राजनैतिक इच्छा शक्ति का बने रहना जरूरी है। पिछले एक वर्ष से देश में चल रहे विभिन्न प्रयासों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सामूहिक रूप से विचार करने, उसके लिए कोई ठोस एवं प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिए और उस पर अमल करने के लिए जरूरी प्रतिबद्धता दिखाना एक प्रमुख अवसर जरूर प्रदान करता है।

MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉ

'उन्नति' द्वारा गुजरात में हुई सामाजिक ऑडिट के कार्य की केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रशंसा

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार द्वारा लागू नरेगा योजना के तहत कामों की देखरेख के लिए स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट प्रणाली की प्रशंसा की थी। हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक ऑडिट के बारे में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में रोजगार गारंटी योजना की देखरेख करने वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों श्री जयराम रमेश ने बताया कि इस योजना की सामाजिक ऑडिट की पद्धतियों में में भी एक से ज्यादा प्रणाली लागू होना स्वागत योग्य है। इस संदर्भ में गुजरात राज्य की पद्धति का विरोध करने वाले राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कई सदस्यों एवं आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि की टिप्पणी का जवाब देते हुए श्री जयराम गुजरात पद्धति की प्रशंसा की थी। आंध्र सहित अन्य राज्यों से अलग गुजरात सरकार ने सार्वजनिक निविदा की पद्धति से सामाजिक ऑडिट के कार्य के लिए तीसरे पक्ष के रूप में संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे जिसमें गत वर्ष के लिए अहमदाबाद स्थित 'उन्नति' संस्था को स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रूप से सामाजिक ऑडिट करने का कार्य सौंपा गया था।

'उन्नति' संस्था ने गत एक वर्ष के दौरान राज्य की 12000 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामों की सामाजिक ऑडिट कार्य करके 8000 गड़बड़ियों के विवरण ढूंढ निकाले थे व इस बारे में राज्य सरकार को सूचित किया गया था। इस समग्र कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए राज्य के 225 तालूकों में से लगभग 1800 सदस्यों को सामाजिक ऑडिट करने की सघन तालीम दी थी एवं उनके समूह को तालूका संसाधन समूह नाम दिया था। इसके अलावा उन्नति संस्था के द्वारा टोल फ्री हैल्प लाइन (1800-233-4567) शुरू की गयी थी। इसमें आइ शिकायत को संबंधित जिले के अधिकारी को पहुंचा दिया जाता था तथा उसकी एक प्रति डाक से शिकायतकर्ता को भी भेजी जाती थी। जिले के अधिकारी इन तमाम शिकायतों का निराकरण करते थे। केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य श्री निखिल डे तथा आंध्र के प्रतिनिधि ने गुजरात के इस मॉडल पर टिप्पणी करते हुए स्वैच्छिक संस्था की स्वतंत्रता एवं प्रमाणिकता के बारे में शंका व्यक्त की थी। उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार की आर्थिक सहायता तथा स्वैच्छिक संस्था के अनेक कार्यों की व्यस्तता सामाजिक ऑडिट जैसे कार्य के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाने की शंका व्यक्त की थी। इस बारे में गुजरात के प्रतिनिधि के जवाब ने केन्द्रीय मंत्री को अचंभे में डाल दिया। स्वैच्छिक संस्था के साथ इस कार्य के लिए जुड़ाव के बारे में प्रश्न का जवाब देते हुए गुजरात के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्नति संस्था का चयन पारदर्शी खुली सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया के द्वारा किया गया था।

इसके बाद केन्द्रीय मंत्री ने अन्य राज्यों की सामाजिक ऑडिट की पद्धतियों के बारे में जानकारी मांगी थी। उसके अनुसार आंध्र प्रदेश में सामाजिक ऑडिट के लिए खास सोसायटी पंजीकृत की गयी जबकि छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग के निदेशक ही यह कार्य संभालते हैं। आंध्र के प्रतिनिधि ने पंजीकृत सोसायटी से ही सामाजिक ऑडिट करवाने की दलील देते हुए ग्रामीण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नियम के अनुसार किसी भी स्वतंत्र संस्था द्वारा ही यह कार्य करने की सिफारिश की गई थी। गुजरात के नरेगा के उपायुक्त श्री अन्सारी ने बताया कि चालू साल में गुजरात सरकार ने सतत दो वर्ष के लिए यह कार्य सौंपने के लिए सामाजिक संस्थाओं के पास से आवेदन मंगाए हैं।

गुजरात की पद्धति का स्वागत करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश ने राजस्थान सरकार की इस बारे में कार्यवाही के बारे में अफसोस व्यक्त करते हुए राजस्थान की सामाजिक ऑडिट के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा था। उन्होंने आंध्र

द्वारा सूचित मोबाइल नरेगा न्यायालयों की संभावना तलाशने की तैयारी भी दर्शाई थी।

नोबल विश्व शांति पुरस्कार-2011 तीन महिलाओं को प्रदान

वर्ष 2011 के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबल शांति पुरस्कार से तीन महिलाओं को सम्मानित किया गया। 10 दिसम्बर को इस पुरस्कार को देने के लिए नोबल शांति पुरस्कार चयन समिति सर्वप्रथम विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने में महिलाओं द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता मिली है। इन तीन सम्मानित महिलाओं में अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई लाइबेरिया की प्रमुख सुश्री एलन जॉनसन शर्लीफ, लाइबेरिया की ही महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली सुश्री लामह बौवी तथा दक्षिणी यमन की पत्रकार एवं महिला क्रांतिकारी सुश्री तवक्कुल करमान शामिल हैं। इसमें 1.5 मिलियन डॉलर की रकम बराबर बांटी जाएगी।

नोबल चयन समिति ने इन तीन महिलाओं के चयन के बारे में बताया कि इन तीन महिलाओं ने अहिंसक आंदोलन के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा के मुद्दे को लेकर समाज में शांति प्रक्रिया बहाल करने के कामों में सक्रिय योगदान दिया है। जब तक समाज के हर क्षेत्र में विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए पुरुषों को जितने अवसर मिलते हैं उतने अवसर महिलाओं को नहीं मिलते तब तक हम लोकतंत्र एवं चिरकालीन शांति स्थापित नहीं कर सकेंगे। इन तीन महिलाओं विजेताओं के साथ नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या अब पंद्रह हो गई है। जबकि 1901 से दिए जा रहे पुरस्कारों में 85 पुरुषों ने शांति पुरस्कार प्राप्त किया है वहीं विविध क्षेत्रों में योगदान के लिए 43 महिलाओं को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

72 वर्षीय लाइबेरिया की प्रमुख सुश्री शर्लीफ हार्वर्ड विश्विद्यालय से शिक्षित अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र तथा लाइबेरिया सरकार मे उच्च पदों पर कार्य कर चुकी हैं। दशकों के गृहयुद्ध के बाद 2005 में सबसे पहले सुश्री शर्लीफ लोक नेता के रूप में उभरी और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रांत में लंबे समय के बाद शांति बहाल हुई। लाइबेरिया में असमानता, हिंसा एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतत संघर्ष में उन्होंने जीवन के जोखिम पर ध्यान नहीं देकर बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम उठाकर लाइबेरिया में आर्थिक सामाजिक विकास करके प्रांत में महिलाओं की स्थिति मजबूत की। लाइबेरिया में लौह महिला के रूप में लोकप्रिय शर्लीफ के साथ नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली लाइबेरिया की ही अन्य महिला हैं 39 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता है सुश्री लामह बौवी। वे वीमन इन पीस एन्ड सिक्योरिटी नेटवर्क की कार्यकारी निदेशक हैं तथा अफ्रीकन वीमन लीडर्स नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव हैल्थ एन्ड फैमिली प्लानिंग की सदस्य भी हैं।

सुश्री बौवी ने भी वर्ष 2000 से लाइबेरिया में शांति बहाल करने के बुनियादी कार्यों में भारी योगदान दिया था। उन्होंने युद्ध में बालकों की सैनिकों के रूप में भर्ती तथा महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में उग्र आंदोलन किया था। वर्ष 2003 में उन्होंने हजारों महिलाओं का नेतृत्व करके शांति मंत्रणा के लिए आए प्रतिनिधियों पर शांति करार स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। वर्ष 2004 से सुश्री बौवी लाइबेरिया के ट्रुथ एन्ड रीकन्सीलिएशन कमीशन की आयुक्त हैं। वे लाइबेरिया सहित अफ्रीका के कई क्षेत्रों में शांति, साक्षरता एवं राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं।

इन दोनों अफ्रीकी महिलाओं के साथ नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित तीसरी महिला अरब देश श यमन की आंदोलनकारी पत्रकार सुश्री तवक्कुल करमान हैं। 32 वर्षीय महिला पत्रकार ने अरब देश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता के क्षेत्र में भारी संघर्ष किया। उन्होंने यमन में लोकतंत्र की स्थापना एवं महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर 2005 में महिला पत्रकारों का एक संगठन बनाया था। यमन में 33 वर्ष अकेले शासन करने वाले प्रमुख सालेह के विरुद्ध युवाओं को जाग्रत व सक्रिय करने में सुश्री करमान ने प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। अरब की वे पहली महिला हैं जिन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

शेष पृष्ठ 39 पर

ºÉn¦ÉÇ ºÉÉʽÉiªÉ

पंचायती राज थकी सुशासन

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता का दैनिक जीवन सरलता से चलाने के लिए आवश्यक तमाम नागरिक सुविधा के कार्यों, विकास के कार्यों, सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण से संबंधित कार्यों, रोजगार, आपातकलीन राहत कार्यों एवं योजना व प्रशासन से संबंधित कार्य पंचायतों को करना होता है। इन कार्यों के लिए हमारे यहां पंचायती राज के तीन स्तर तय किए गये हैं। इन तीन स्तरों पर तमाम कार्य तटस्थ रूप से, समय पर तथा योजना पूर्वक

चलता रहे तब सुशासन की परिस्थिति पैदा होती है। इस बारे में जो मुख्य एवं महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में संस्था के कार्यकर्ताओं एवं गावों के लघु स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को जानकारी देने के लिए बिहेवियरल साइंस सेन्टर ने पंचायती राज थकी सुशासन पुस्तक प्रकाशित की है।

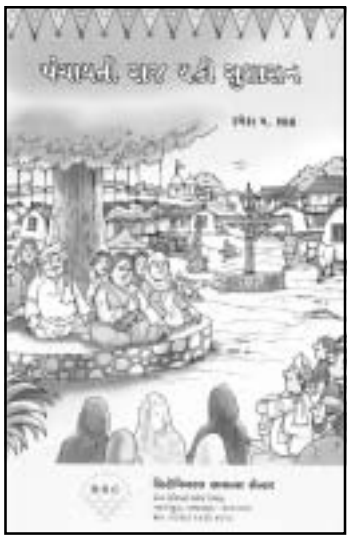

श्री रमेशभाई शाह द्वारा लिखी इस पुस्तक को दो भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग में मुख्य रूप से ग्राम सभा सहित पंचायती राज ढांचा, तीनों स्तरों की पंचायतों के कार्यों, उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों, उनके पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य, पंचायतों के वित्तीय संसाधन, बजट, ग्राम की विकास की योजनाओं की सूची तथा आदिवासी क्षेत्रों के विशिष्ट पंचायती राज का विवरण शामिल है। दूसरे भाग में सामाजिक समस्याओं उनके समाधानों के विषय को शामिल किया गया है। इसमें दलितों पर अत्याचार, रोजगार के प्रश्न, नरेगा योजना का विवरण तथा भोजन का अधिकार से संबंधित योजनाओं का परिचय शामिल है। लेखकः रमेश म. शाह, प्राप्ति स्थानः बिहेवियरल साइंस सेन्टर, सेन्ट जेवियर्स कॉलेज कैम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009, फोनः 079-26304928.

ट्रबल्ड आइलेन्ड्स

(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के आदिम लोगों तथा पर्यावरण के बारे में आलेखन)

पिछले कई वर्षों से अंडमान एवं निकोबार में पहने वाली शिकारी आदिम जाति के लोगों तथा वहां के नाजुक पर्यावरण के बारे में कई अध्ययन लक्ष्यी कार्य हाथ में लिए गए थे। इसके बावजूद पिछले कई वर्षों से लागू विकास नीति तथा कार्य यहां की आबादी की जरूरतों तथा द्वीप समूहों के जैवविविधता से परिपूर्ण नाजुक पर्यावरण के लिए असंवेदनशील एवं नुकसान वाले साबित हुए हैं। इन द्वीप समूहों पर रहने वाले लोगों, वनों एवं जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पिछले दशक में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों पर लिखे गए अनुसंधान प्रकाशनों में या मीडिया में इस दृष्टिकोण का अभाव देखा गया है। वहीं इस पुस्तक के लेखक श्री पंकज सेखसरिया ने 1998 से लगातार इन मुद्दों को अनेक लेखों द्वारा समाज के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। यह पुस्तक वास्तव में इन तमान लेखों का संग्रह है जो पहले फ्रन्टलाइन, दि हिन्दू, इकोनोमिक एन्ड पालिटिकल वीकली एवं सेन्चुरी-एशिया जैसे अखबारों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इस पुस्तक में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की विशिष्ट पहचान, इतिहास, आदिम जनता की जीवन शैली एवं वर्तमान परिस्थिति, उनके साथा समाज के व्यवहार, अंडमान एवं निकोबार के जंगलों का खात्मा, द्वीप समूहों पर शोभायमान प्रकृति का नयनाभिराम खजाना,

सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची इन द्वीप समूहों के बारे में समस्याओं आदि विषयों को समेटने वाले लेख शामिल हैं। वास्तव में हमारे देश का ही एक महत्वपूर्ण एवं अप्रतिम भाग इन द्वीप समूहों के विकास के कारण हुई दुर्दशा के बारे में जानने को उत्सुक लोगों के लिए ये लेख अनुसंधान पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। आजादी के बाद भी दशकों तक जहां का जीवन प्रकृतिमय-निरामय रहा उन अद्वितीय द्वीप समूहों की मौजूदा समस्याओं को ट्रबल्ड आइलेन्ड्स में प्रस्तुत किया गया है।

लेखकः पंकज सेखसरिया, प्रकाशकः कल्पवृक्ष, अपार्ट 5 , श्री दत्ता कृपा, 908, डेक्कन जीमखाना, पुणे -411 004, ईमेलः psekhsaria@ gmail.com तथा लीड इंडिया, नई दिल्ली, ईमेलः office@ leadindia, मूल्यः 120 ¯û.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के 20 वर्ष - प्रगति पत्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए लागू कानून आज भी उतने प्रभावी नहीं हैं जिसका कारण हमारे समाज में मौजूद कई बुराइयां हैं जिन्हें खत्म करने के लिए एक देश के रूप में हमें बहु आयामी कार्य करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 हमारे देश में सामान्य नागरिक की सुरक्षा एवं जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू सामान्य कानून इस वंचित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का सबूत है। पिछले 20 वर्षों में उपरोक्त कानून कितना यह करने में सफल रहा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था तथा रीति-रिवाज आज भी कितने रूढ़िवादी हैं, तथा इन कानूनों के अमल आज भी कहां कितना असरकारी नहीं है उसका चित्र इस विवरण में दिया गया है। इसमें विश्लेषित वर्ष 1995 से 2007 तक आंकड़े दर्शाते हैं कि इस कानून के अमल के द्वारा कोर्ट में आए कुल केसों में से मात्र 4.6 प्रतिशत केसों की सुनवाई पूरी की जाती है। जबकि रोज के लगभग 93 अपराध दर्ज किए जाते हैं। इस कानून को लागू होने के 20 वर्ष का लेखा-जोखा देते हुए इस विवरण में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के समुदायों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका तथा संलग्न विभागों की कार्य प्रणालियों की कमियों के पहलुओं के उल्लेख के साथ निवारण के लिए जरूरी कदमों की भी चर्चा की गई है।

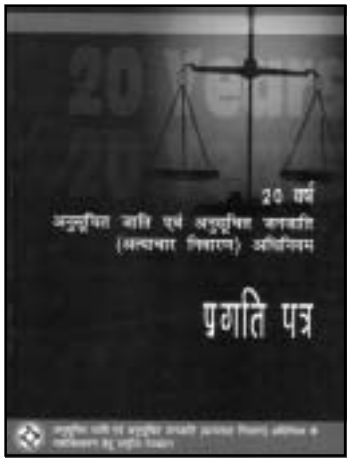

इस रिपोर्ट कार्ड में बीस वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अमल के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन तथा उसके खर्च की भी जानकारी दी गई है। अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषा में उपलब्ध इस विवरण में जातिवाद, प्रांतवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता आदि कारणों से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित अन्य वंचित समुदायों पर अत्याचार केसों की स्थिति भी दर्शाई गई है।

प्रकाशकः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सशक्तिकरण गठबंधन, सहयोग राशि 100 रु., प्राप्ति स्थानः 8/1, तीसरी मंजिल, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008, फोनः 011-45668341, ईमेलः ncdhr@vsnl.net.

सर्वोच्च न्यायायल और मुस्लिम निजी कानून

महिलाओं के विकास के संदर्भ में भारतीय संविधान को निर्माण को महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। क्योंकि इस संविधान में सामाजिक लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने को मूलभूत अधिकारों की सूची में शामिल करके, समान संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर के द्वारा वे परिस्थितियां उपलब्ध कराई गई हैं ताकि महिलाएं गौरवपूर्ण जीवन जी सकें। इसके बावजूद संवैधानिक गारंटी महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति में नहीं के बराबर बदलाव ला सकी है। इसके अलावा, हमारे संविधान द्वारा लिंग समानता, भेदभाव विहीनता एवं धर्म के चयन की स्वंतत्रता के बावजूद धार्मिक निजी कानून ने अनेक प्रकार की रूढ़िगत रीति-रिवाजों पर पकड़ बनाए हुए है। भारत की अग्रणी

वकील एवं महिला अधिकार कार्यकर्ता सुश्री सौम्या उमा लिखित एवं सुश्री सोफिया खान द्वारा अनुवादित इस पुस्तक में मुस्लिम निजी कानून से संबंधित अपने अधिकारों को लेकर जिन मुस्लिम महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष किया है उन कई किस्सों को लेकर उन व्यापक समस्याओं के बारे में जानकारी फैलाने का प्रयास किया गया है।

भारत में मुसलमान सहित हरेक धार्मिक संप्रदाय अलग-अलग जाति या परिवारों में रूढ़िगत कानूनों के अंतर्गत आता है। जिसके अंतर्गत वैवाहिक संबंध,तलाक, भरण-पोषण, वारिस हक तथा उत्तराधिकारी से संबंधित हकों के प्रश्न उठाए गए हैं। इस संदर्भ में देखें तो मुस्लिम निजी कानून मोटे तौर पर परंपराओं तथा प्रणालीगत कानूनों से बंधा हुआ है। जिसके अच्छे-बुरे पहलू हैं तथा उसमें सुधारों की आवश्यकता है। परंतु भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है अतः सर्वोच्च न्यायालय ने देश की मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। जिसमें से कुछेक इस पुस्तक में दिये गया हैं।

महिलाओं की सभी समस्याओं का निवारण कानून नहीं कर सकता। फिर भी, 21वीं सदी महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता की सदी बनाने के उद्देश्य के साथ सुश्री सोफिया खान ने इस पुस्तक को प्रस्तुत किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम निजी कानून को लेकर मुस्लिम महिलाओं के अलग-अलग प्रश्नों एवं अधिकारों के संदर्भ में दिए गए निर्णयों के द्वारा अधिकारों की रक्षा करते हुए उसने विवाह की कानूनी परिभाषा, गर्भवती महिला के साथ विवाह की वैधता, विवाह के आवश्यक पंजीकरण का महत्व, अविवाहित माता के अपने बालक पर अधिकार, एकतरफा तलाक, न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद एवं मुस्लिम कानून, मौलवियों द्वारा जारी फतवा (धार्मिक आदेश) की न्यायिक वैधता, मेहर, तलाक के पत्नी को मिलने वाला भरण-पोषण का अधिकार, बहु पत्नीत्व एवं पहली पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार, वैवाहिक संपति में अधिकार, मौखिक भेंट की वैधता, बालकों की वैधता एवं उनको मिलने वाले भरण-पोषण के अधिकार तथा वक्फ बोर्ड एवं महिलाओं के भरण-पोषण की सहायता आदि जैसे अनेक महत्व के मुद्दों को समेटा गया है। हिन्दी भाषा में उपलब्ध यह पुस्तक मुस्लिम महिला अधिकारों के संबंध में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों तथा इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मार्गदर्शक साबित होगी।

लेखिकाः सौम्या उमा, अनुवादकः सोफिया खान, हिन्दी आवृत्ति प्रकाशकः सफर, डी-1, रीजेन्सी पार्क प्लाजा, अंबर टावर के सामने, सरखेज रोड, अहमदाबाद-380 055, फोनः 079-26820272, ईमेलः safar@rediffmail.com

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित संशोधन

अनुसूचित जाति/जनजाति की सुरक्षा के एक साधन के रूप में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 लागू किया गया था। इसके लागू होने से यह अपेक्षा थी कि यह समुदाय के गरीब-पिछड़े लोगों पर अन्य जाति के लोगों द्वारा होने वाले अत्याचार दूर होंगे परंतु पीड़ित व्यक्तियों, समुदायों, उसके गवाहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं का स्पष्ट अनुभव यह रहा है कि इस कानून के अमल के 20 वर्ष बाद भी परिस्थिति में खास बदलाव नहीं आया। इस कानून का वास्तविक अमल होना अभी बाकी है। इस कानून को लागू होने के बाद उससे होने वाली सजा के भय से कई क्षेत्रों में परिस्थिति नियंत्रण में अवश्य आई है परंतु उससे पीड़ित लोगों को मिलने वाले न्याय के बारे में अभी भी कमियां मौजूद हैं।

शेष पृष्ठ 39 पर

विगत चार महीनों की अवधि के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार प्रवृत्तियां हाथ में ली गई थीं:

(1) सामाजिक समावेश व सशक्तिकरण

जुलाई-2011 में आयोजित जन सुनवाई में पेश किए केसों का फॉलोअप के रूप में मीडिया द्वारा दबाव एवं दलित अधिकार अभियान के कारण बिरामी एवं बाड़मेर के युवाओं के खून के केसों में अपराधियों को पकड़ा गया। अन्य पांच केसों में तत्काल चालान एवं जमीन के आवेदनों को रद्द किया गया। पिछले दो वर्ष में अन्याय के 50 मामलों में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का कार्य किया गया। इनमें 7 केसों पर इस अवधि के दौरान कार्य किया गया। अन्याय के 110 मामलों में कानूनी मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया गया। इनमें आठ केसों को हाल ही में शामिल किया गया। इन केसों में गैरदलित द्वारा दलितों से मारपीट, एक खून, दो में घरेलू हिंसा तथा एक जमीन अतिक्रमण के 4 केस शामिल हैं।

बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के 70 गांवों में जमीन पर एवं अतिक्रमण घरेलू हिंसा के संदर्भ में किए गए सहभागी अध्ययन के आधार पर 12 नवम्बर, 2011 को दलित एवं जमीनें - स्थिति एवं संलग्न समस्याओं पर एक चर्चा आयोजित की गई। इसमें 75 व्यक्तियों ने भाग लिया था। शाला में दलित बालकों के प्रति भेदभाव के 2 एवं पानी के स्रोत के उपयोग में भेदभाव के एक मामले में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। बाड़मेर एवं जोधपुर जिलों की 45 गांवों की महिला नेताओं ने सामाजिक लिंग एवं हिंसा पर आधारित तीन दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया। 64 गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए जरूरी सहयोग प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं 1995 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में सह कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा इस मुद्दे पर राजस्थान की स्थिति के अनुभव एवं सूचना पर जानकारी प्रदान की।

दलितों की जमीन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न	केस
गैरदलितों द्वारा दलितों की जमीनों पर अतिक्रमण	285
अपने खेत में जाने के लिए मार्ग की मांग	215
सीमा के बारे में समस्याएं	144
जमीन दी जाने के बावजूद संबंधों का गैरदलितों द्वारा दुरुपयोग	9
सरकारी लोन के कारण जमीन की नीलामी	6
गलत कागजातों से दलितों की जमीनों पर हक जमाना	29
ट्रस्ट ने दलित की जमीन बेची हो तो उसका गैरदलितों द्वारा उपयोग	64
किसी दलित के नाम का उपयोग करके दलित की जमीन की खरीदी	46
कुल	**830**

विकलांगता के मुद्दे को मुख्य धारा में शामिल करना

29 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2011 के दौरान विकलांगता का समावेश एवं यू.एन.सी.आर.पी.डी. विषय पर क्षमता वर्धन शिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें डिसेबिलिटी एडवोकेसी ग्रुप - गुजरात, अंधजन मंडल - अहमदाबाद, पी.एन.आर. सोसायटी - भावनगर एवं उन्नति - अहमदाबाद नामक चार संस्थाओं के 12 महिलाओं एवं 21 पुरुष सहभागियों को मिलाकर कुल 33 व्यक्तियों ने भाग लिया।

इस शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विकलांगों को शामिल करने के बारे में अभिगम एवं रूपरेखा में आए परिवर्तनों के बारे में समझ फैलाना, यू.एन.सी.आर.पी.डी. के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को समझाना तथा व्यापक संवाद एवं हाल में मौजूद समावेश संबंधी प्रथाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना तथा उनके दस्तावेजीकरण के लिए कौशल में वृद्धि करना शामिल था।

19 अक्टूबर, 2011 को मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली तीन संस्थाओं की समीक्षा एवं योजना बैठक आयोजित की गई। जिसमें इन संस्थाओं के 5 विषय के शिक्षकों, 2 फीजियोथेरेपिस्टों, 2 मार्गदर्शकों तथा उन्नति की टीमों ने भाग लिया था।

इन संस्थाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास योजना के फालो-अप की कार्यवाही को केन्द्रित करके बौद्धिक विकलांगता वाले 151 बालकों का पुनर्वास करने में सहयोग किया गया। इसके अलावा सहयोगी संस्थाओं में जाकर मार्गदर्शन दिया गया। तीन केन्द्रों पर मार्गदर्शकों के द्वारा कुल 12 मुलाकात की गई। 67 बालकों की फीजियोथेरेपी की गई। कई विशेष शिक्षकों के अनुरोध पर विशेष मार्गदर्शन एवं सूचना प्रदान की गई। स्पीच थेरेपिस्टों द्वारा भी मुलाकात ली गई। दो केन्द्रों पर 21 बालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। तीन केन्द्रों के लिए विकलांग किशोर-किशोरियों के यौन समस्याओं एवं बाल रक्षण के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा विकलांग अधिकार बिल-2011 के बारे में हैदराबाद में आयोजित बैठक में उन्नति के सह-कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा लखनऊ में स्पार्क इंडिया ने 15 वर्ष के समारोह दिवस को आयोजित परिसंवाद में विकलांगों के मुख्य धारा में समावेश के संदर्भ में राज्य की भूमिका विषय पर प्रस्तुति की गई।

विशेष परियोजना

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में शालाओं में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिये सेटकॉम कार्यक्रम

अगस्त-2011 में गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिये सेटकॉम कार्यक्रम के दूसरे दौर की शुरूआत की गई। अगस्त से नवम्बर-2011 के दौरान निम्नांकित गतिविधियां आयोजित की गईः

दिनांक 9-10 सितम्बर, 2011 के दौरान वडोदरा, तिलकवाडा, दाहोद, वलसाड, सूरत एवं साबरकांठा नामक छः स्थलों पर जिला स्तर के छः अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली शालाओं में अंग्रेजी के 89 शिक्षकों ने भाग लिया। कक्षा-8 के मॉड्यूल में किए गए परिवर्तनों तथा 2011-12 के आयोजन के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान वर्कबुक 1 व 2 छापी गई तथा 234 शालाओं में वितरण किया गया। वर्कबुक 3 को छपने दिया गया है। इस दौरान 1-16 सेटकॉम कक्षाओं के लिए मास्टर सीडी तैयार की गई। सहभागी शालाओं में

वितरण के लिए उसके 300 सैट तैयार किए गये तथा बायसेग द्वारा 17 कक्षाओं का प्रसारण किया गया। विद्यार्थियों के शिक्षण की जांच करने के लिए विशेष वर्कशीट 1 द्वारा परीक्षा लेने की कार्यवाही सूचनाप्रद करने के लिए एक सत्र खास शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया। पहली परीक्षा अक्टूबर, 2011 में ली गई। जिसके बाद 265 शालाओं में 6000 विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति एवं व्याकरण के बारे में अंक एकत्र किए गए। ये परिणाम वनबंधु कल्याण योजना की वेबसाइट पर रखी जाएगी। कार्यक्रम की प्रगति की देखरेख के लिए इस दौरान 32 शालाओं की मुलाकात की गई। तमाम शालाओं में इस कार्यक्रम का निरीक्षण करते रहने के लिए 15 सेटकॉम फेलो की टीम नियुक्त की गई है। सितंबर, 2011 में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम बनाने के लिए तैयारी की गई। नवंबर, 2011 में छः दिवसीय कार्यशालाओं में अभ्यासक्रम बनाने वाली टीमों ने मिलकर, चर्चा करके, कक्षा 9 के प्रथम 16 वर्गों के लिए पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक तमाम गतिविधियां तय की गई।

(2) नागरिक नेतृत्व, शासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

दिनांक 21-24 नवंबर, 2011 के दौरान सामुदायिक संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व एवं शासन के बारे में गुजरात में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) का आयोजन किया गया। दस स्वैच्छिक संस्थाओं के 23 सहभागियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना, साधनों एवं नरेगा योजना के तहत चलने वाली सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रशिक्षकों की क्षमता वर्धन करना था। प्रशिक्षण के अंत में तमाम सहभागियों ने अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायत्वि के साधनों के अध्ययन के लिए कार्य योजना तैयार की थी। सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया पर समुदायिक नेताओं के अभिमुखीकरण के लिए 18-19 अक्टूबर, 2011 के दौरान अहमदाबाद में 21-22 अक्टूबर के दौरान खेडब्रह्मा में दो दिवसीय, दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सामाजिक ऑडिट के साधनों एवं प्रक्रियाओं के बारे में समझ में वृद्धि करके सामाजिक नेताओं की सामाजिक ऑडिट एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में क्षमता वर्धन करना था। इन कार्यशालाओं में कुल 48 व्यक्तियों ने भाग लिया था। जिसमें देखरेख के लिए अलग-अलग अभिगमों, देखरेख के सूचकों तथा बुनियादी सेवाओं की देखरेख के लिए समुदाय आधारित सूचकों के विकास की प्रक्रिया जैसे विषयों को शामिल किया गया था। इसके अलावा खेडब्रह्मा व अहमदाबाद में समुदायिक प्रक्रिया के बारे में सहभागी अभिगम करने के उदाहरण के रूप में ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई। सामाजिक उत्तरदायित्त्व दर्शाने के तहत इंदिरा आवास योजना, सफाई कामदार आवास योजना, दीनदयाल आवास योजना, विधवा पेन्शन, वृद्धावस्था पेन्शन, जननी सुरक्षा योजना, पीडीएस तथा आईसीडीएएस जैसी सरकारी विविध योजनाओं के साथा गरीबों को जोड़ने के प्रयास किए गए।

अक्टूबर, 2011 में धोलका, दसक्रोई, मोडासा एवं खेडब्रह्मा नामक चार स्थानों में समुदायिक नेताओं के साथ-साथ एक-एक दिन की चार अभिमुखीकरण बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को बी.पी.एल. कार्ड के तहत पंजीकरण में शामिल करना था। शिशु-मिलापप, वडोदरा ने राजीव गांधी किशोर-बालिका योजना अथवा सबला योजना के बारे में अध्ययन करने के लिए सहयोग दिया गया। लॉ-कॉलेज, गांधीनगर के दो छात्रों को गुजरात में पंचायती राज के बारे में अध्ययन करने के लिए सहयोग दिया गया। इसी तरह, मध्य गुजरात विश्वविद्यालय के दो छात्रों को 17 नवम्बर, 2011 को साबरमती रिवरफ्रंट योजना

के लिए पिराणा मे विस्थापित किए गए लोगों की परिस्थिति के बारे में अध्ययन करने के लिए सहयोग दिया गया। लोकवाचा-बुलेटिन का तीसरा एवं चौथा अंक प्रकाशित किया गया।

नरेगा के तहत सामाजिक ऑडिट एवं शिकायतों का निवारण

राजस्थान में ग्राम स्तर के 50 समूहों में 842 महिलाओं एवं 453 बाल किशोरियों को संगठित किया गया। ये समूह प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षण, समन्वित बार विकास सेवाओं, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजना एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना जैसी छः बुनियादी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। बालोतरा में 50 एवं सिंधरी में 34 मिलकर 84 किशोरों एवं बालोतरा में 26 एवं सिंधरी में 39 मिलकर 65 किशोरियों ने प्राथमिक शालाओं के साथ जोड़ा गया है। आमतौर पर गैर-दलित बस्तियों में ही आंगनबाड़ियां चलाई जाती हैं। जाति आधारित भेदभावों एवं लंबे अंतर जैसे अवरोधों के कारण दलित समुदाय के लोग उनका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इससे नौ गावों में छोटी आंगनबाड़ियां शुरू करने की कोशिश की गई जिसमें से हाल में तीन गावों में ये शुरू हो गई हैं। बालोतरा के चार गांवों में बी.पी.एल. परिवारों को निशुल्क दवाओं एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए 58 मेडिकल कार्ड दिए गए। महिला समूह द्वारा सरकारी कार्यों में बेदरकारी के 25 केसों, आंगनबाड़ी में भेदभावों का एक तथा नरेगा के तहत कामों में वेतन मिलने में विलंब की शिकायतों को हाथ में लिया गया। जोधपुर जिले के लूणी तालूका में महिला समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य संभाल रहे हैं एवं पंचायत की बैठकों में आने के लिए मिलने वाला भत्ता नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया है।

गुजरात में अगस्त एवं सितम्बर, 2011 के दौरान ग्रामीण विकास आयुक्त के अनुरोध को ध्यान में रखकर तालूका रिसोर्स ग्रुप को पुनः सक्रिय करने के लिए जिले स्तर की बैठकें आयोजित की गई। ऐसी कुल 23 बैठकों में प्रत्येक जिले के संबंधित जिला विकास अधिकारियों, डी.आर.डी.ए. के निदशकों, टी.डी.ओ. तथा ए.पी.ओ. आदि उपस्थित हुए थे। इन बैठकों का आयोजन नबम्बर, 2011 के दौरान आयोजित होने वाली विशेष सामाजिक ऑडिट के अभियान में तालूका रिसोर्स ग्रुप की भूमिका को ध्यान में रखकर किया गया था।

सामाजिक ऑडिट अभियान में निरीक्षण के लिए चार जिलों पाटण, बनासकांठा, पंचमहाल, एवं वडोदरा की मुलाकात की गई। इस दौरान सामने आए प्रश्नों के हल के लिए जिला अधिकारियों के ध्यान में लाया गया। इस समय के दौरान टेलीफोन हैल्पलाइन के द्वारा 224 नई शिकायतों को नोट किया गया। अक्टूबर, 2011 से अब तक उन्नति के पास कुल 803 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 367 का हल कर दिया गया।

(3) विपत्ति में जोखिम में कमी दर्शाने वाले सामाजिक निर्धारक

पश्चिमी राजस्थान में सामुदायिक कार्यों में सहयोग देकर सरकारी योजनाओं के साथ संबंध स्थापित करके दलित महिलाओं को पानी की सुविधा प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं। सितंबर, 2011 में आयोजित होने वाली ग्राम सभा में प्रमाणित करने के लिए नरेगा के तहत वर्ष 2012-13 के लिए कामों के आयोजन के लिए प्रस्तुतियां भेजने के लिए ग्राम समूहों को संगठित व प्रोत्साहित किया गया है। बरसाती पानी के संग्रह के लिए टांके तैयार करने के 860 प्रस्तावों को मंजूर किया गया। बालोतरा, सिंधरी एवं फलौदी तालूकों के 47 गांवों में पानी के सार्वजनिक स्रोतों के बारे में किए गए सहभागी विश्लेषण के अंत में इन क्षेत्रों में पाइपलाइन, हैंड पंप, ट्यूबवेल या

जलाशयों जैसे सरकारी पानी के सरकारी स्रोतों के पानी में खारापन, अनियमितता, बूंद-बूंद पानी की प्राप्ति जैसी बातें पता चली हैं। कई गांवों में तो यह पता चला है कि पाइपलाइन डालने के बाद वहां के जलाशयों में से एक भी दिन पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। बालोतरा एवं सिंधरी भूजल में खारेपन की मात्रा देखी गई। बरसाती पानी के संग्रह वाली नाड़ी बेदरकारी एवं अनुपयोगिता के खराब हो रही हैं। नौ गांवों में किए सामुदायिक कार्यों के कारण अब आठ गांवों में स्वच्छ पीने का उपलब्ध हो रहा है। जिलाधीश के सामने बालोतरा तालूका की अकराली जोगियो की बस्ती की प्रस्तुति करने पर उन्होंने मार्च-2012 तक गांव में मीठा पानी उपलब्ध कराने की गारंटी दी है। गारासरा, शिवनगर एवं सरनेपान्जी गांवों में से हैंड पंपों के आवेदन दिए गए। यहां हैंड पंप खोदे गए और अब पानी मिल रहा है। धजो की ढाणी में हैंड पंप को ठीक किया गया। आकाल गांव में ट्यूबवेल का काम शुरू किया गया।

फलौदी तालूका के जोरा गांव में ट्यूबवेल के लिए खुदाई की गई है। इस ट्यूबवेल तक दूरी पांच किलोमीटर है। महिला नेताओं द्वारा लगातार फालोअप के कारण टंकी के साथ जोड़ा गया है तथा भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य चालू है। चमननाड़ी गांव के भूमिगत जलाशय में महिला नेताओं की लगातार कार्यावाही के कारण पीने का नियमित उपलब्ध हो रहा है। चौमासे के बाद पानी से फैलने वाली बीमारियां शुरू हो गई थी। बालोतरा एवं सिंधरी के आठ गांवों में महिलाओं ने दी गई किट का उपयोग करके पानी की टंकियों, तालाबों तथा घर-घर में पानी की जांच की थी। इन जांच के निष्कर्षों के आधार पर लोगों मे स्वच्छता संबंधी समस्याओं एवं बरसाती पानी के संग्रह के बारे में प्रोत्साहित किया गया। पिछले चार वर्षो से दलित परिवारों के घासचारे की कमी की समस्या के हल के लिए बागानी खेती शुरू की गई है। चालू वर्ष में बालोतरा, सिंधरी एवं फलौदी के 59 प्लॉट में कंटीले तार, मिट्टी का परीक्षण, वृक्षारोपण, अभिमुखीकरण तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन जैसे सहयोग प्रदान किए गए। दस प्लॉट महिलाओं के नाम हैं तथा और जमीन महिलाओं के नाम करने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। बागानी खेती के 49 लाभार्थियों अनुसूचित जाति के तथा 10 लाभार्थियों अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं। नर्सरी में 92 प्रतिशत सफलता मिली है, सितम्बर, 2011 में लाभार्थियों को पौधों की कटाई-छंटाई के साधन प्रदान किए गए। 13 गांवों के मिलकर 53 पुरुष एवं 40 महिला किसानों को सफल बागानी खेती की मुलाकात के लिए निरीक्षण दौरा किया गया। 12 गांवों के मिलकर 12 पुरुष एवं 8 महिला किसानों को खेजराली मरुस्थल विज्ञान संस्थान में मटका पद्धति से सिंचाई की तालीम दी गई। इस सिंचाई पद्धति से पानी की बचत एवं कार्यक्षम उपयोग किया जा सकता है।

स्थलांतर करने वाले लोगों की असहायता कम करने तथा उन्हें गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 82 महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाया गया और उन्हें आंगनबाड़ी से जोड़ा गया। उसके बाद बालोतरा के 50 और सिंधरी के 127 इस तरह कुल 177 बालकों को इन स्वास्थ्य स्वयंसेवकों द्वारा टीका लगाया गया था। सिंधरी के इन बालकों में से 85 बालक योग्य होने के बावजूद उन्हें एक भी टीका नहीं लगाया गया। बालोतरा की 37 एवं सिंधरी की 40 इस तरह कुल 77 सगर्भा महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। बालोतरा में 24 बालकों, 10 बालिकाओं, पांच किशोरियों तथा एक धात्री महिला को आंगनबाड़ी से जोड़ा गया। विकास विकल्प एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से महिला कारीगर तैयार करने के लिए नवम्बर-दिसम्बर, 2011 के दूसरे स्तर की तालीम प्रदान की गई। इस तालीम में कमरे के निर्माण कार्य के द्वारा अनुभव आधारित शिक्षण प्रदान किया गया। पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में समुदाय आधारित जोखिम निवारण (सी.एम.डी.आर.आर.) अभिगम में से प्राप्त शिक्षण एवं अनुभवों का

व्यापक प्रचार के लिए दस्तावेजीकरण शुरू किया गया। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (आइ.एन.जी.ओ.), ए.आइ.डी.एम.आइ. एवं उन्नति द्वारा आरंभ राज्य स्तर पर इंटर एजेन्सी ग्रुप की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की गई। इंटर एजेन्सी ग्रुप (आइ.ए.जी.) का मुख्य उद्देश्य विपत्ति के लिए तैयार रहने के वातावरण को आगे बढ़ाना, उसे सहयोग प्रदान करना तथा उसके द्वारा जोखिम में कमी तथा राज्य के लोगों की तकलीफें को दूर करना है। 18 जुलाई तथा 10 अगस्त को आइ.ए.जी. को शुरू करने के लिए दो बैठकें आयोजित की गई। जिसमें राज्य स्तर पर आइ.ए.जी. को पुनः सक्रिय करने के लिए संभावनाओं की चर्चा की गई। इस बैठक में क्रिश्चियन रिलीफ सर्विसेज, सेव द चिल्ड्रन एवं यूनिसेफ ने भाग लिया था।

पृष्ठ 30 का शेष

सेवा की सुश्री इलाबेन का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन

हाल ही में इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट की सुश्री सुमन दुबे ने घोषणा की है कि सेवा संस्था की सुश्री इलाबेन भट्ट का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। सुश्री इलाबेन भट्ट 1972 से महिलाओं के बीच विकासलक्ष्यी कार्य कर रही हैं। 600 महिलाओं से शुरू हुए महिलाओं के इस संगठन में आज 13 लाख महिलाएं शामिल हैं। हाल ही में सेवा संस्था द्वारा राजस्थान व गुजरात के गांवों में दो लाख सौर बल्ब पहुंचाएं हैं व इस तरह ग्रीन पावर की दिशा में उन्होंने असाधारण कार्य किया है।

पृष्ठ 33 का शेष

इसी से इस कानून के 20 वर्ष पूरे होने के बाद विविध संगठनों, कार्यकर्ताओं, अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अमल के बारे में कार्यरत विषय विशेषज्ञों को इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए उसके कानूनी संशोधन के बारे में कार्यवाही शुरू की गई है ताकि यह कानून अधिक प्रभावी रूप से अमल में आ सके।

हाल ही में गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सशक्तिकरण गठबंधन द्वारा इन संशोधनों को पेश करने वाला एक प्रस्तावित दस्तावेज समीक्षा के लिए प्रकाशित किया गया है। इस प्रस्तावित संशोधन पेपर में अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की मूलभूत धाराओं में जरूरी शाब्दिक सुधार, गुनाह की गंभीरता एवं सजा की मात्रा को अर्थघटित करने की सीमाएं एवं जरूरतें, नए प्रकार के अपराध - अत्याचारों का उद्भव, सजा बढ़ाने के सुझावों के कारण, मजदूरी या वेतन दर को चुकाने में होने वाली गड़बड़ी और भेदभाव, केस को उचित धाराओं में दर्ज नहीं करना, दर्ज करने में विलंब होना, शिकायत को संक्षेप में दर्ज करना, घर के सामान की लूटपाट या संपत्ति का नाश, शैक्षिक संस्थाओं में भेदभाव, अपहरण एवं अत्याचार, सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार आदि जैसे अनेक अत्याचारों का विस्तृत विवरण एवं उन्हे न्याय प्रदान करने के लिए जरूरी भाषागत, कानूनी एवं प्रशासनिक क्षेत्र में बारीक बदलावों के बारे में सुझावों को शामिल किया गया है।

यह दस्तावेज इसलिए पेश किया गया है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पीड़ित लोगों को उचित न्याय मिलना शुरू हो एवं उसके लिए कानून अधिक असरकारक एवं प्रक्रिया अधिक संवेदनशील एवं तेज बने।

प्राप्ति स्थानः 8/1, तीसरी मंजिल, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008, ईमेलः ncspa2009@yahoo.in

पृष्ठ 1 का शेष

पराकाष्ठा को खोलकर रख दिया। तो दूर-दराज में रहने वाले लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से अपना सुर मिलाकर जन आंदोलन को समर्थन दिया। इन तमाम आंदोलनों ने साबित किया कि जनता अब जान चुकी है कि सत्ता पर काबिज नेता या दल भ्रष्टाचारी एवं उद्दंड हैं। बिना किसी बड़े नेतृत्व या आदर्शों के दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों को लेकर सीधे लड़ने के लिए अब उत्सुक हो गई है।

इन सब में संसाधनों के विकास पर पूंजीवादी अंकुश एवं उसके द्वारा आय के स्रोतों की असमानता के स्तर पर वितरण के विरुद्ध वैश्विक मानव समुदाय की जाग्रति एवं नाराजगी तथा शासन व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण की जरूरत दोनों व्यक्त होती हैं। इसके द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया अधिक मजबूत बन रही है।

इस बारे में भारत एक भाग्यशाली देश है, जिसके संविधान में सतत संवर्धन की क्षमता है। इस संविधान के द्वारा हमें शासन व्यवस्था अधिक विकेन्द्री एवं जवाबदेही तथा उसके प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी बनाने की संभावनाएं प्राप्त हुई हैं। इससे आधी सदी तक लोकतंत्र को सतत संवर्धित करने के बाद हमने एक व्यक्ति,समाज के प्रतिनिधि या समाज के रूप में आंतरिक या बाह्य परिबलों से प्रभावित होकर या आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय अवरोधों से डरकर ऐसे निर्णय नहीं करने चाहिए जिनसे संविधान की संवर्धन क्षमता या समाज की अखंडता पर आघात हो। हमें संवधिान की ऐसी सिफारिशें नहीं चाहिए जिनसे प्रशासनिक कार्य प्रणाली जड़ बन जाए या अन्य तरीकों से पूंजीवाद या केन्द्रीकृत सत्ता को स्थापित करे। भूतकाल के निर्णयों एवं कार्यों के परिणाम आज भारत में संविधान की सिफारिशों के मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए मंच प्रदान करते हैं। तो दूसरी ओर देश की आम जनता में व्याप्त तीव्र भुखमरी की विडंबना पेश करता है। इस अवसर पर हमारे निर्णय ऐसे होने चाहिए जो भविष्य के जनहित के कार्य के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं समानता दृढ़ करने वाले हों।

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

अनुवादः रामनरेश सोनी **ले-आउटः** रमेश पटेल - उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद.

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।